समग्र शिक्षा अभियान
मुफ्त वितरण
कक्षा-7
सामाजिक, आर्थिक
एवं
राजनीतिक जीवन
भाग-2
Q R Code सहित
समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के
अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
क्रय-विक्रय दण्डनीय अपराध

DIKSHA ऐप कैसे डाउनलोड करें ?

विकल्प 1: अपने मोबाइल ब्राउज़र पे **diksha.gov.in/app** टाइप करें|
विकल्प 2: अपने एंड्राइड मोबाइल के Google Playstore पर DIKSHA NCTE खोजें और "डाउनलोड" बटन को दबाएँ |

मोबाइल पर QR कोड का उपयोग कर डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे प्राप्त करें ?

DIKSHA ऐप लॉन्च करें | ऐप अनुमतियों को स्वीकारें | उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल का चयन करें

1 पाठ्यपुस्तकों में QR कोड स्कैन करने के लिए DIKSHA ऐप में दिए गए QR कोड आइकॉन को टाइप करें |

2 डिवाइस को QR कोड की दिशा में इंगित करें और QR कोड के ऊपर केंद्रित करें |

3 सफल स्कैन पर , QR कोड से जुड़ी डिजिटल पाठ्य सामग्री सूचीबद्ध है |

डेस्कटॉप पर DIAL कोड का उपयोग कर डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे प्राप्त करें ?

1 पाठ्यपुस्तक में QR के नीचे 6 अंको का एक कोड रहता है जिसे DIAL कोड कहते हैं |

2 ब्राउज़र पर **diksha.gov.in/br/get** टाइप करें |

3 सर्च बार में 6 अंको का DIAL कोड टाइप करें |

4 सभी उपलब्ध पाठ्य सामग्री की सूची देखिए और किसी भी नए पाठ्य सामग्री को क्लिक करें और देखें |

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलाम्
मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलाम्
मातरम् ।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्
सुखदां वरदां मातरम् ।

राष्ट्र गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब - सिन्धु - गुजरात - मराठा
द्राविड़ - उत्कल - बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।

(स्रोत : गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग)

सत्र-2024-25

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग-2, कक्षा-7 (हिन्दी)

निःशुल्क वितरण हेतु

मुद्रक : हेबा प्रिंटिंग वर्क्स, करमली चक, पटना-8

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन

भाग – 2

कक्षा–7

(राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, द्वारा विकसित)
बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत ।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण बिहार राज्य में निमित्त।

समग्र शिक्षा अभियान : 2024-25 – 14,09,321 प्रतियाँ

नि:शुल्क वितरण

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्य-पुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800 001 द्वारा प्रकाशित तथा **हेबा प्रिंटिंग वर्क्स, करमली चक मोहली रोड,** पटना- 800 008 द्वारा 70 जी.एस.एम. मैपलिथो टेक्स पेपर (कात्यानी पेपर मिल्स, प्र०लि० वाटर मार्क) तथा 220 जी.एस.एम. आर्ट बोर्ड आवरण पेपर (जेके पेपर लि०) पर कुल 1,07,658 प्रतियाँ 18×24 से.मी. साइज में मुद्रित।

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल, 2009 से प्रथम चरण में राज्य के कक्षा IX हेतु नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया। इस क्रम में शैक्षिक सत्र 2010–11 के लिए वर्ग I, III, VI एवं X की सभी भाषायी एवं गैर भाषायी पाठ्–पुस्तकें नए पाठ्यक्रम के अनुरूप लागू की गयीं। इस नए पाठ्यक्रम के आलोक में एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा विकसित वर्ग X की गणित एवं विज्ञान तथा एस0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना द्वारा विकसित वर्ग I, III, VI एवं X की सभी अन्य भाषायी एवं गैर भाषायी पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक निगम द्वारा आवरण चित्रण कर मुद्रित की गयीं। इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शैक्षिक सत्र 2011–12 के लिए वर्ग II, IV एवं VII तथा शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिए वर्ग V एवं VIII की नई पाठ्य–पुस्तकें बिहार राज्य के छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध करायी गयीं । साथ–ही–साथ वर्ग I से VIII तक की पुस्तकों का नया परिमार्जित रूप भी शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए एस०सी०ई०आर०टी०, बिहार, पटना के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई।

बिहार राज्य में विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री, डा0 चन्द्रशेखर एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, **श्री के० के० पाठक,** (भा०प्र०से०) के मार्गदर्शन के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

एन0सी0ई0आर0टी, नई दिल्ली तथा एस0सी0ई0आर0टी, बिहार, पटना के निदेशक के भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया ।

बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके ।

सन्नी सिन्हा, आई०आर०एस०एस०
प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि०

दिशा-बोध सह पाठ्य-पुस्तक विकास समन्वय समिति

श्री के० के० पाठक, भा० प्र० से०
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग बिहार, पटना

श्री राजेश भूषण
राज्य परियोजना निदेशक
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना

श्री मुखदेव सिंह
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
तिरहुत प्रमंडल

श्री बसन्त कुमार
शैक्षिक निबंधक
बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉ० लि० मि०

श्री सज्जन राजसेकर, भा० प्र० से०
निदेशक,
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना

श्री रामेश्वर पाण्डेय
कार्यक्रम पदाधिकारी
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना

डॉ० सैयद अब्दुल मुईन
विभागाध्यक्ष, एस0सी0ई0आर0टी0, पटना

डॉ० ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी
प्राचार्य, मेत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन
एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर

पाठ्य-पुस्तक विकास समिति

विषय विशेषज्ञ

श्री अरविन्द सरदाना	एकलव्य, देवास, मध्यप्रदेश

लेखक सदस्य

डा. श्रवण कुमार सिंह	शिक्षक, सर जी0 डी0 पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटना
सुश्री नाहिदा प्रविण	शिक्षिका, पी0 एन0 एंग्लो. संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाटोला, पटना
श्री कात्यायन कुमार त्रिपाठी	शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, चैलीटाल, गुलजारबाग, पटना
श्री ओम प्रकाश	शिक्षक, धनेश्वरी देवनन्दन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, दानापुर, पटना
श्री आशीष कुमार	शिक्षक, उच्च विद्यालय, वीर ओइआरा, पटना
श्री प्रवीण कुमार	शिक्षक, मध्य विद्यालय, खोनहा, सत्तर कटैया, सहरसा
श्री विकास कुमार राय	शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, श्रीकान्तपुर, राजपुर, बक्सर
श्री त्रिपुरारी कुमार	शिक्षक, मध्य विद्यालय, बड़का डुमरा, भोजपुर
श्री आफताब आलम	शिक्षक, मध्य विद्यालय, सारंगपुर, भोजपुर

समन्वयक

डा० रीता राय	व्याख्याता, एस0सी0ई0आर0टी0, पटना

समीक्षक

श्री विजय कुमार सिंह	शिक्षक, एफ0 एन0 एस0 एकेडमी, (उच्च माध्यमिक) गुलजारबाग, पटना
श्रीमती तुलिका प्रसाद	प्रभारी प्राचार्या, प्रा0 शि0 म0 वि0 बाढ़, पटना

आरेखन

श्री आमोद कारखानिश	मुम्बई
आभार	यूनिसेफ, बिहार, पटना

आमुख

प्रस्तुत पुस्तक ''सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग-2 का भारत सरकार की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 तथा राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद् बिहार, पटना द्वारा एन० सी० एफ० 2005 के सिद्धान्त दर्शन तथा शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर विशिष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्र को संदर्भ में रखते हुए बिहार पाठ्यचर्या 2008 तथा तदनुरूप पाठ्यक्रम के आधार पर बिहार राज्य के शिक्षक समूह के साथ चरणबद्ध कार्यशाला में निर्माण किया गया है। पाठ्यपुस्तक के विकास के क्रम में विषय विशेषज्ञों तथा विद्याभवन सोसाइटी, उदयपुर, राजस्थान का सहयोग रहा है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य तथा प्रकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवधारणाओं में दिये गये विषय-वस्तु को पाठ्यपुस्तक के अध्यायों में परिलक्षित एवं समाविष्ट किया गया है। इसमें बच्चों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एक चारित्रिक विकास पर ध्यान दिया गया है। बच्चों में करके सीखने तथा आपस में मिल-जुलकर रहने की प्रवृति का विकास करके उनको जिम्मेवार नागरिक बनाया जाय, जिससे वे देश की धर्म निरपेक्षता, अखंडता एवं समृद्धि के लिए कार्य कर सकें ताकि संविधान की प्रस्तावना की पूर्ति हो, ऐसा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तक में ध्यान रखा गया है। पाठ्य-पुस्तक के सभी अध्याय रोचक हैं। पाठ्यपुस्तक में दिये गये विषय विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव पर आधारित हों, ऐसा प्रयास भी किया गया है। कुछ अध्यायों में कहानी के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विज्ञान के रहस्यों का उद्भेदन करने का प्रयास किया गया है, जो कि अपने आप में नवाचार है। कहीं-कहीं ऐसे प्रश्न संदर्भित हैं, जिससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हुए सत्य के निकट जाने हेतु कौतूहल एवं जिज्ञासा रहेगी।

इस पाठ्य-पुस्तक में बच्चों पर पुस्तकों के भार को कम करने की दृष्टि से ''सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में हमारा अर्थशास्त्र'' को भी समाहित किया गया है। बच्चों को सामाजिक जीवन के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों को जानने का भरपूर अवसर प्रदान किया गया है। पाठ्य-पुस्तक में मानव जीवन में समानता, राज्य सरकार, सामाजिक समस्या लिंग भेद, समानता के लिए संघर्ष, आसपास के बाजार, बाजार की श्रृंखला तथा समाज में मीडिया की भूमिका आदि पर ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया गया है।

पाठ्य-पुस्तक से बच्चे तथा शिक्षक के बीच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल-केन्द्रित सुगम एवं आनन्ददायी हो, ऐसा प्रयास किया गया है, इसलिए

पाठ्य-पुस्तक के सभी अध्यायों के विषय वस्तु में जगह-जगह क्रियाकलाप अर्थात गतिविधि तथा प्रयोग का वर्णन हैं। पुस्तक के अधिकांश क्रियाकलाप बिना किसी सामग्री या कम लागत में करवाई जा सकती है। शिक्षण जितना गतिविधि आधारित होगा, बच्चों को सक्रिय बनाने वाला होगा,बच्चों को उतना ही अधिक आनन्द आएगा और वे उतनी ही अच्छी तरह दक्षताओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्य में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इस पाठ्य-पुस्तक के निर्माण में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना का सराहनीय सहयोग रहा है। प्रस्तुत पाठ्य-पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने के पूर्व राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना द्वारा विभागीय पदाधिकारी, विषय विशेषज्ञों, भाषा विशेषज्ञों एवं प्रारम्भिक स्तर के शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें विद्याभवन सोसाइटी, उदयपुर (राजस्थान) के साधन सेवियों साथ मिलकर काफी गहन चर्चा के बाद पुस्तक की पाण्डुलिपि का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, विद्या भवन सोसाइटी, एकलव्य मध्यप्रदेश द्वारा विकसित पुस्तकों के साथ अनेक प्रकाशनों की पुस्तकें, संदर्भ सामग्री के रूप में पाठ्य-पुस्तक को तैयार करने में उपयोगी साबित हुई।

इस पाठ्य-पुस्तक निर्माण में श्री सुशील कुमार, श्री मृत्युंजय एकता परिषद्, डा. सुकन्या बोस, दिल्ली, एकलव्य, पिटारा, पटना श्री आदेश कुमार सिंह, एकलव्य पिटारा, पटना एवं सुश्री अनु गुप्ता एकलव्य देवास का सहयोग सराहनीय रहा है।

आशा है ''सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग-2 की यह पाठ्य-पुस्तक बच्चों के लिए लाभदायक, आनन्ददायी एवं रुचिकार सिद्ध होगी। अल्प समय में निर्मित पुस्तक के लिए समालोचनाओं एवं सुझावों का परिषद् स्वागत करेगी। प्राप्त सुझावों के प्रति परिषद् सजग संवेदनशील होकर अगले संस्करण में आवश्यक परिमार्जन के प्रति विशेष ध्यान देगी।

निदेशक

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

बिहार, पटना।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

हमारा संविधान

हमारा मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य-भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

(i) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से सँजोए रखे और उनका पालन करे;

(iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(iv) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे-जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उनका परिरक्षण करे;

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(ix) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(xi) माता-पिता या अभिभावक में जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे की, जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करे;

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय का शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	लोकतंत्र में समानता	1
2.	राज्य सरकार	11
3.	शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका	23
4.	समाज में लिंग भेद	31
5.	समानता के लिए महिला संघर्ष	41
6.	मीडिया और लोकतंत्र	50
7.	विज्ञापन की समझ	61
8.	हमारे आस-पास के बाज़ार	69
9.	बाज़ार श्रृंखला : खरीदने और बेचने की कड़ियाँ	80
10.	चलें मण्डी घूमने	91
11.	समानता के लिए संघर्ष	105
12.	सड़क सुरक्षा उपाय	112

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes)

वर्ग-VII

विषय-सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन (भाग-2)

LO07CI01 लोकतंत्र में समानता का महत्व समझते हुए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समानताओं के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं।

LO07CI02 समानता के अधिकार के संदर्भ में अपने क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों की व्याख्या करते हैं।

LO07CI03 विधान सभा के चुनाव प्रक्रिया की समझ रखते तथा अपने राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को मानचित्र पर पहचान पाते हैं एवं स्थानीय विधायक का नाम बता सकते हैं।

LO07CI04 शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जनसुविधाओं के प्रति राज्य सरकार की भूमिकाओं का वर्णन करते हैं।

LO07CI05 समाज में महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करते हैं।

LO07CI06 विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को उपयुक्त उदाहरणों के साथ बताते हैं।

LO07CI07 मीडिया का लोकतंत्र एवं जनमत पर प्रभावों को समझते हैं। तथा उनके कामकाज की व्याख्या करते हैं।

LO07CI08 एक विज्ञापन बताते हैं।

LO07CI09 विभिन्न प्रकार के बाजारों में अंतर कर पाते तथा वस्तुओं के उपभोक्ता तक पहुँचने की प्रक्रिया को समझते हैं।

LO07CI10 सड़क यातायात के संकेतको एवं सुरक्षा उपायों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

अध्याय 1

लोकतंत्र में समानता

आज, आने वाले मतदान के लिए फोटो पहचान-पत्र बनाने का काम चल रहा है। यह काम पास के सरकारी विद्यालय में हो रहा है। एक लम्बी कतार खड़ी है। सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पंक्ति में शान्ता, सलमा, गुरमीत, पूनम, राजेश, हमीद आदि सभी खड़े हैं। तभी ज्योति आती है। पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है; ज्योति के यहाँ चौका-बर्तन का काम करती है।

पूनम : दीदी,यहाँ आइये,मेरी जगह पर।

ज्योति : नहीं, मैं कतार में लगूँगी।

पूनम : दीदी, आज मुझे काम पर आने में देर होगी।

ज्योति : मुझसे पहले तू खड़ी है। तुम्हारा पहचान-पत्र पहले बन जाएगा। फिर देरी क्यों होगी?

पूनम : मुझे आपके पहले शेफाली दीदी के यहाँ जाना है। वहाँ का काम अभी बाकी है।

शांता : पहचान-पत्र बन जाने से क्या फायदा होगा? लाईन में खड़ा होना बेकार तो नहीं होगा?

पूनम : नहीं, पहचान-पत्र बन जाने के बाद ही हम अपना वोट डाल सकेंगे।

हमीद : राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है।

1. वोट देने का अधिकार किसे है?
2. कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है? कैसे?
3. वोट देने के अधिकार में क्या आपके काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है? चर्चा करें।
4. फोटो पहचान-पत्र की जरूरत और कहाँ-कहाँ हो सकती है?

?

एक दिन की बात है –

पूनम की बेटी रमा

पूनम ज्योति के यहाँ कभी-कभी अपनी पुत्री रमा को लेकर जाती है। रमा की आयु 7 वर्ष की है तथा ज्योति की बेटी शालिनी की आयु 5 वर्ष की है। शालिनी शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती है। वह प्रतिदिन बस से स्कूल जाती है। कई बार रमा शालिनी के बस्ते को लेती है तथा शालिनी को बस पड़ाव तक पहुँचाती है।

कतार में खड़े होकर जहाँ पूनम को समानता का अहसास हो रहा था वहीं रोज़मर्रा के जीवन में कुछ अलग-सा महसूस होता है। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से रमा को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम की मज़बूरी है। परंतु उसके पास बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं।

लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में जैसे वोट देने के अधिकार में तो समानता है, परंतु रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में कई प्रकार की असमानताएँ हैं। देश का हर वयस्क, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो; एक वोट का हकदार है। दूसरी तरफ लोगों की गरीबी के कारण जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अभाव है। हम इन बातों को समझें और असमानताओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, विचार करें।

1. अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई?
2. पूनम को असमानता का अहसास क्यों होता है?
3. आपके आसपास किस-किस प्रकार के स्कूल हैं?
4. अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे? आपस में चर्चा करें।

?

बाल संसद और समानता

आप सभी ने अपने विद्यालय में बाल संसद के गठन में भाग लिया होगा। इसके लिए चुनाव के पहले कक्षाओं को पाँच समूहों में बाँटा जाता है। प्रत्येक समूह में सभी कक्षाओं के छात्र-छात्राएँ शामिल होते हैं। इसमें पाँच ऐसे समूह तैयार कर लिये जाते हैं जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र-छात्राएँ एक साथ शामिल होते हैं। पाँचों समूह अपने-अपने समूह से दो प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

1. बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी है?
2. यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता, तो क्या फर्क पड़ता?
3. क्या चुनाव प्रक्रिया में 'एक व्यक्ति एक मत' के सिद्धान्त का प्रयोग हुआ है? समझाएँ।
4. 'एक व्यक्ति एक मत' के नियम से क्या-क्या लाभ है?
5. आपके विद्यालय में बाल संसद ने क्या काम किया है और क्या कर सकती है? अपनी राय लिखें।

?

मानवीय गरिमा और असमानता

जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है। यही बात आप नीचे दिए गए उदाहरणों में देख सकेंगे।

गांधी जी की अफ्रीकी यात्रा :

अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेल गाड़ी द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद चरम पर था। ट्रेन जब पीटरमैरिट्सबर्ग पहुँची तो रेल के डिब्बे में,जिसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे, कुछ रेल कर्मचारी आए। गांधी जी को इन लोगों ने तृतीय

श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने अपने पास रखे प्रथम श्रेणी का टिकट उन्हें दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इंकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना रेल कर्मचारियों को नागवार लगा। उन्होंने पुलिस को बुलाकर गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं गांधी जी को जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया।

अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी को काफी ठेस पहुँची। इसके बाद उन्होंने रंग-भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया।

एक आपबीती :

मैं एक विवाह समारोह मे शामिल होने के लिए निकट के एक संबंधी के यहाँ गया था। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। समारोह में उपस्थित प्रायः सभी लोग समाज के धनी लोग थे। सभी लोग काफी महँगे सूट-बूट में थे तथा गाड़ियों से आ रहे थे। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मुझे न तो बैठने के लिए और न ही खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझे मच्छर काटते रहे और मैं सारी रात जागता रहा।

अपने संबंधी तथा अन्य लोगों के व्यवहार से मेरा मन काफी व्यथित हो गया।

1. दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुँची?
2. आपबीती के लेखक को अपने संबंधी के यहाँ किन बातों से ठेस पहुँची होगी? चर्चा करें।
3. क्या आप के साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें आपकी गरिमा को ठेस पहुँची हो?

समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप

असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के व्यवहार 'सामान्य' दिखते हैं परन्तु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज में लोगों की सोच को दर्शाते हैं और असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

वैवाहिक विज्ञापन

हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन हैं। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है।

1. इन विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित करें?

मध्याह्न भोजन और विद्यालय

देशभर में मध्याह्न भोजन प्रारम्भ करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और छीजन(पढ़ाई बीच में छोड़ देना) भी कम हुआ है।

मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। सभी ब्च्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों न हो ।

इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किये जा सकते हैं, चाहे वे दलित या महादलित ही क्यों न हो? कहीं-कहीं भोजन बनाने वालों की जाति को लेकर विवाद भी हुआ पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया।

दलित एवं महादलित

दलित : दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जिसका अर्थ है– समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है।

महादलित : दलितों में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली दफा महादलित कहा गया।

1. मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है?
2. मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्य चुनें और लिखें ?
3. क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो कैसे?

?

समाचार पत्रों की इन ख़बरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश के कई स्थानों पर ऐसा भेदभाव होता है। यह एक व्यापक समस्या है जो लोगों की सोच को दर्शाता है।

1. बाल संसद समानता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए।

?

गरीबी एवं बेरोजगारी

असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नज़र आता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। सबसे ज़्यादा गरीबी खेतिहर मज़दूरों हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। ये भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत थोड़ी जमीन है, जिससे उनका गुज़ारा नहीं हो पाता। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं क्योंकि अधिकांश खेतिहर मज़दूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोज़गारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव।

विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे

महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गई।

दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की प्रतिमा

रोजा पार्क्स

विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लम्बा इतिहास रहा है। कई उदाहरणों में एक अमेरिका में नागरिक अधिकार आन्दोलन (सिविल राइट्स मूवमेन्ट) के रूप में जाना जाता है।

इस आन्दोलन की जड़ में 1 दिसम्बर 1955 की वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी। क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी, वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गयी। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा, क्योंकि वहाँ यह नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः अफ्रीकी-अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आन्दोलन छिड़ गया। इसके बाद सन् 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत-अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई।

शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में ही उनका नामांकन होता था,जिसे बन्द कर दिया गया। वे अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र थे। किन्तु, वे आज भी अपनी असमर्थता तथा आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहाँ पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहाँ श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएँ नज़र आती हैं।

चुनौतियाँ लोकतंत्र की

जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ समानता अनिवार्य रूप से होगी। अत: लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए एवं सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। किंतु, बहुत बार ऐसा नहीं होता और असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बात सामने रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं एवं जन आंदोलनों में भाग लेते हैं। इस पाठ्यपुस्तक के अलग-अलग अध्यायों में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्षों के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

अभ्यास

1. अपने आस पड़ोस से समानता और असमानता दर्शाने वाले किन्हीं तीन व्यवहारों का उल्लेख करें।

   समानता के व्यवहार

   1. ....
   2. ....
   3. ....

   असमानता के व्यवहार

   1. ....
   2. ....
   3. ....

2. क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और क्यों?
3. क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुँची है?
4. यदि आप रोजा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते?
5. क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों से बाद में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया है? यदि हाँ तो क्यों?
6. असमानता के कई रूप हैं। यह कैसे कह सकते हैं?

अध्याय 2

राज्य सरकार

पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि सरकार तीन स्तरों पर काम करती है—स्थानीय, राज्य और केन्द्र। स्थानीय सरकार के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ा है। इस अध्याय में हमलोग जानेंगे कि राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है, विधायक कौन होता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है एवं लोग सरकार के सामने अपनी बातें कैसे रखते हैं ?

अपने आस-पास सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाएँ। **?**

आज पंचायत भवन पर विधायक जी आने वाले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने का वादा किया था जो आज तक नहीं खुला। गाँव के मुखिया ने लोगों को पंचायत भवन पर बुलाया है। जब मनीष के पिता पंचायत भवन के लिए निकले तो मनीष भी उनके साथ हो लिया। उसने रास्ते में कई लोगों को विधायक के बारे में बातें करते सुना। यहाँ के अधिकतर लोग समय से अपना इलाज नहीं करवा पाते, क्योंकि गाँव में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है और शहर का अस्पताल दूर है। जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें शहर के अस्पताल ले

जाना पड़ता है। दूरी के कारण कभी-कभी तो मरीज की मौत अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही हो जाती है।

कुछ ही समय के बाद विधायक उन सबके बीच मौजूद हुए। गाँव के लोग नाराज़ नज़र आ रहे थे कि अब तक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खुला। विधायक ने फिर कहा कि वह जल्दी ही स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति दिलवाएँगे। मनीष को समझ में नहीं आया । उसने अपने पिताजी से पूछा, ''यह स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए पैसे क्यों नहीं दे रहे?'' पिताजी ने जवाब दिया कि, ''स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आइए ।'' पर मनीष अभी भी समझ नहीं पाया। आइए, आगे इन बातों को में समझें।

विधायक का चुनाव

भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। इस सभा के सदस्यों को विधायक (एम०एल०ए०) कहा जाता है। इनका चूनाव जनता करती है।

प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बँटा हुआ होता है। उदाहरण के लिए रीता देवी 2005 में पहली बार निर्मलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। उनके साथ इस विधानसभा क्षेत्र से रामअवतार एवं अन्य पाँच लोग भी अपनी-अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये सभी उम्मीदवार थे और जीतने की हरसंभव कोशिश कर रहे थे। ये उम्मीदवार अलग-अलग पार्टियों की ओर से खड़े हुए थे। इनमें कोई कांग्रेस पार्टी से तो कोई भा.ज.पा. से, कोई रा.ज.द. से

तो कोई ज.द.यू से, तो कोई लो.ज.पा. से था। दो उम्मीदवार निर्दलीय भी थे, जो किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे।

सभी उम्मीदवारों ने पहले अपना नामांकन भरा। उसके बाद अपने प्रचार के लिए अपनी-अपनी पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया। कोई भी गाँव व कस्बा ऐसा नहीं था, जहाँ लोगों ने अपनी पार्टी का प्रचार न किया हो। इस तरह से सभी ने अपनी-अपनी पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुँचाया एवं अपने उम्मीदवारों के लिए वोट माँगे। प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे किये। रामअवतार ने मनीष के गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने का वादा किया।

मतदान यूनिट

अन्त में आया चुनाव (मतदान) का दिन। निर्मलपुर विधानसभा के अधिकतर लोगों ने सुबह 8 बजे से ही अपनी पसंद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अपने-अपने मतों का प्रयोग किया। शाम पाँच बजे सबकी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई। उम्मीदवारों के समर्थक अपनी पसंद के उम्मीदवार की जीत की कामना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद आया वोटों की गिनती का दिन। कुछ लोग टी.वी. के सामने थे तो कुछ लोग मतगणना केन्द्र (जहाँ पर मतों की गिनती होती है) की ओर जा रहे थे। दो बजे गिनती समाप्त हो गई।

ई०वी०एम०

1. शिक्षक की सहायता से अपने जिले के मानचित्र में अपने विधानसभा क्षेत्रों को दर्शाएँ एवं 'उम्मीदवार' व 'पार्टी' का अर्थ समझाएँ।

2. चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है? चर्चा करें।

3. अलग-अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं? इससे क्या फायदा होता है?

4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है? शिक्षक के साथ चर्चा करें।

5. आप अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व विधायक के नाम बताएँ।

6. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से समाप्ति तक पूरी प्रक्रिया को विद्यालय में टोलियाँ बनाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करें।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने रामअवतार के विजयी होने की घोषणा की। रामअवतार को सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत मिले, इस कारण वह चुनाव जीत कर विधायक बन गये। अब वे विधानसभा के सदस्य हैं। ये पाँच वर्षों तक के लिए निवार्चित हुए हैं।

सरकार का बनना

कुल विधान सभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है। अन्य सबको विपक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आगे दी गई तालिका को देखें। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने 2005 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से एक अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। अर्थात् 243 विधायकों में से कम से कम 122 की आवश्यकता होगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तभी वह बहुमत वाला दल कहलाएगा।

बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है? वह इसलिए कि सरकार उस दल की बननी चाहिए जिन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हों। लोगों ने अलग-अलग क्षेत्रों से अपनी-अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना, जो विधायक बनकर विधानसभा में आए। किस पार्टी को लोग ज्यादा चाहते हैं। इसे तय करने के लिए पार्टी के हिसाब से सूची बनायी जाती है। जिस भी दल

के पास आधे से अधिक विधायक हैं, इसका अर्थ हुआ कि बाकी अन्य दलों की तुलना में उसके विधायक ज़्यादा हैं। यानी उस दल को लोग ज़्यादा चाहते हैं। इसलिए वह सरकार बना सकता है। कई बार किसी एक दल के पास अधिक विधायक तो होते हैं लेकिन आधे से अधिक नहीं। यानी बाकी सबकी तुलना में उसके पास बहुमत नहीं होता। ऐसी स्थिति में गठबंधन वाली सरकार बनती है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2005 के परिणाम

राजनीतिक दल	चुने गये सदस्यों की संख्या
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	9
भारतीय जनता पार्टी	55
जनता दल यूनाइटेड	88
राष्ट्रीय जनता दल	54
लोक जनशक्ति पार्टी	10
अन्य दल एवं निर्दलीय	27
कुल योग	243

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम

राजनीतिक दल	चुने गये सदस्यों की संख्या
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	19
भारतीय जनता पार्टी	74
जनता दल यूनाइटेड	43
राष्ट्रीय जनता दल	75
अन्य दल एवं निर्दलीय	32
कुल योग	243

दी गई तालिका में चुनाव परिणाम को ध्यान से देखें एवं समझाएँ कि क्या इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ? भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इनके 143 विधायक होने के कारण इन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हो गये। अन्य सभी विधायक विरोधी पक्ष के सदस्य बन गए। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विरोधी दल बना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियाँ भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव के पश्चात् बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन अपने नेता का चयन करता है। इस चुनाव में भा.ज.पा. एवं ज.द.यू. गठबंधन के विधायकों ने श्री नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बनाए गए।

बिहार विधान सभा भवन

राज्यपाल

राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वह उस दल या गठबंधन के नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना काम-काज चलाए।

1. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ......68.....सदस्य हैं। किसी भी दल या गठबन्धन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी?

2. किस दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियम से क्यों चलना चाहिए? चर्चा करें।
3. क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए? चर्चा करें।
4. अपने शिक्षक की सहायता से बिहार विधानसभा चुनाव के वर्ष 2010 में विभिन्न राजनीतिक दल के परिणाम की जानकारी प्राप्त कर तालिका के रूप में दर्शाइएः–

राजनीतिक दल	चुने गये सदस्यों की संख्या
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	
भारतीय जनता पार्टी	
जनता दल यूनाइटेड	
राष्ट्रीय जनता दल	
लोक जनशक्ति पार्टी	
अन्य राजनीतिक दल	
निर्दलीय	
कुल योग	243

एक नज़र विधान परिषद् पर

बिहार के अतिरिक्त भारत के अन्य पाँच राज्यों में विधान परिषद् हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना।। विधानसभा के अलावा राज्य विधान मण्डल का यह दूसरा सदन है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधान सभा सदस्यों की सख्या की एक तिहाई होती है। बिहार विधान परिषद् में सदस्यों की कूल संख्या 75 है। विधान परिषद् के 1/3 सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधन परिषद् के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होते हैं। इसके अलावे स्थानीय स्वशासन निकायों के द्वारा 1/3, स्नातक क्षेत्र से 1/12 एवं शिक्षक निर्वाचन से 1/12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। यह स्थायी सदन है जो कभी भंग नही होता, किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नये सदस्य चुने जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल छः वर्षों का होता है। विधान परिषद् अपने सदस्यों में से एक सभापति एवं एक उप-सभापति चुनते हैं। ये विधान परिषद् की कार्यवाही को संचालित करते हैं।

विधानसभा में एक बहस

सभी मंत्रियों के अलग-अलग कार्यालय होते हैं,जहाँ वे सिर्फ अपने विभाग के कार्यों का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए-स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का शिक्षा मंत्री संचालन एवं सिर्फ शिक्षा संबंधी कार्यों को अपने विभाग में देखते हैं। उन पर उस विभाग के पूरे राज्य की जिम्मेवारी होती है। सभी मंत्रियों को अपनी बातें व प्रस्ताव विधानसभा में चर्चा के लिए रखना होता है। इसके पश्चात् सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी दल के सदस्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, बहस करते हैं एवं समस्याओं का हल निकालते हैं। आइए! अब विधानसभा की एक बहस पर गौर करें।

विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी बात रख सकते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं एवं सुझाव दे सकते हैं। विभागीय मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित करवाना होता है। हमलोग विधानसभा में लिए गए निर्णयों को अखबारों, दूरदर्शन विभिन्न समाचार चैनलों अथवा रेडियो पर पढ़ते, देखते व सुनते हैं।

आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर के बच्चे परिभ्रमण के दौरान विधानसभा में बहस कैसे होती है, देखने के लिए अपने राज्य की राजधानी पटना गए। विधानसभा अत्यन्त भव्य एवं आकर्षक है। मुख्य द्वार पर बड़े-बड़े अक्षरों में बिहार विधानसभा लिखा हुआ था। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा व्यवस्था देखते बन रही थी। आम आदमी हो या कोई विधायक सुरक्षा जांच के बाद ही उन्हें अन्दर जाने जा रहा था। सैदपुर के बच्चों को सुरक्षा जाँच के बाद ऊपर दर्शक दीर्घा में ले जाया गया। वहाँ से वे नीचे के विधानसभा हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थीं। प्रत्येक डेस्क पर माइक लगा हुआ था, जिस पर विधानसभा

सदस्य बैठे हुए थे। उनके सामने की कुर्सी पर विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए थे। बहस शुरू होती है –

विधायक 1: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सरकार की यह योजना है कि सभी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, इसके बावजूद अधिकतर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आज तक नहीं खुला, जिसके चलते कई लोग समय से इलाज नहीं करवा पाते एवं उनकी मृत्यु हो जाती हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि आखिर कब तक हमारे पंचायत के लोग इलाज के अभाव में मरते रहेंगे ?''

विधायक 2: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एक तो हमारी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का घोर अभाव है, अगर कहीं स्वास्थ्य केन्द्र खुला भी तो डाक्टरों की कमी है, इन स्वास्थ्य केन्द्रों का इतना बुरा हाल क्यों? सरकार इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही?''

विधायक 3: महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर सड़कों की दशा आज भी बदतर है। बहुत सारे गाँवों का सम्पर्क आज भी मुख्य सड़क से नहीं हो पाया है। आपकी सरकार यह दावा करती है कि हमने सड़कें बनवाई हैं। जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतर गाँवों की स्थिति यह है कि व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो उन्हें शहर के स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुँचते-पहुँचते 8-10 घंटे लग जाते हैं। अगर सड़क सही होती तो उनके गाँवों का सम्पर्क मुख्य सड़क से होता और तब वे दो घंटे में शहर के स्वास्थ्य केन्द्र में आसानी से पहुँच सकते हैं। अतः मैं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे कब तक उन सड़कों को बना पाएँगे?

मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य समस्या को बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं। यह सत्य है कि सभी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुल पाया है, पर **आशा** कार्यकर्त्ता की नियुक्ति लगभग सभी गाँवों में हो रही है। बड़े पैमाने पर नियत मानदेय पर चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में सभी दवाओं के वितरण किए जा रहे हैं एवं टीके दिये जा रहे हैं। 24 घंटे डॉक्टर अस्पतालों में इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है।

''अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विरोधी पक्ष के साथी बेवजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज पूरे राज्य का शायद ही कोई गाँव, शहर या गली-मुहल्ला होगा, जिसकी सड़क का पक्कीकरण अभी तक नहीं हुआ। आपके निर्वाचन क्षेत्र के सड़कों का भी टेंडर हो चुका है। इसलिए चिन्ता न करें, इसी सत्र में वे सड़कें भी बन जाएँगी।''

इस प्रकार हमने विधानसभा मे ंचल रही बहस के विषय में जाना, यहाँ हमने देखा कि विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में बहस के दौरान उठाया। विधायक अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र का दौरा करें, लोगों से मिलें एवं समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। इस बहस में मंत्री महोदय ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। मंत्री के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है एवं जिस विभाग का वह मंत्री होता है उसकी जवाबदेही भी। मंत्री पूरी तरह से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है और यही कार्यपालिका कहलाती है। दूसरी तरफ सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, इस संस्था को **विधायिका** कहते हैं।

1. अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या उठाते और क्यों?
2. आपकी नज़र में एक विधायक और उस विधायक में, जो मंत्री भी हैं क्या अंतर है?
3. विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता क्यों है?

?

सरकार की कार्यप्रणाली

विधानसभा की बहस के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ, विधायक द्वारा सदन में उठाये गए मामले पर विचार करने के लिए बैठक करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उस विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जाने की योजना बनाते हैं। अगले सप्ताह वे उन गाँवों का दौरा करते हैं एवं विधायक द्वारा उठाये गए मामले को सही पाते हैं। दौरे से लौटने के पश्चात् वे सबसे पहले उस ठेकेदार (संवेदक) का ठेका रद्द करने एवं ग्रामीण विकास मंत्री को नये सिरे से टेंडर निकलवाने का आदेश देते हैं। तीन माह के अन्दर सड़कों की स्थिति ठीक करने की बात भी करते है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जिससे कि गाँव के लोगों का इलाज हो पाए।

सचिवालय, पटना

इस प्रकार हमने जाना कि, वे लोग जो सरकार में शामिल हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री इत्यादि, इन सभी को समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे अपने कार्यों को विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि। इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है एवं प्रश्नकर्त्ता को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे है। साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसका बजट (योजना) सदन द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। पुनः उस योजना की पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदन लिया जाता है।

सरकार के कार्य के बारे में टीका–टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की माँग सिर्फ विधानसभा में ही नहीं की जाती, बल्कि हमलोग प्रतिदिन अखबारों, रेडियो, दूरदर्शन चैनलों एवं अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में लोग अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपनी माँग रखते हैं।

अभ्यास

1. अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सरकारी विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गये रिक्त स्थानों में भरिए।

विभाग का नाम	उनके द्वारा किए गए कार्यों के उदाहरण
शिक्षा विभाग	
स्वास्थ्य विभाग	
पथ निर्माण विभाग	
कृषि विभाग	

2. निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उनका चुनाव किस प्रकार होता है?
3. विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अन्तर है?
4. आपके विचार में क्या विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही? कैसे? चर्चा कीजिए।

G6P8U3

अध्याय 3

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका

शिक्षा, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत जैसी मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए लोगों की अपेक्षा होती है कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार इसे पूरा करे। इस अध्याय में हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकार की भूमिका को समझेंगे और देखेंगे कि यह सरकार के काम से किस जुड़ी हुई है।

शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए ज़रूरी है। अर्थात् वह दुनिया को

समझने का मौका देती है, शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है और व्यक्ति व समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। शिक्षा इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार काम ढूँढ़ पाएँ। समाज के लोग किसी समस्या पर मिल-जुल कर बातचीत कर सकें और उसका समाधान निकाल सकें। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति अदालत में अपना बचाव करने, बैंक से ऋण लेने, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने ज़्यादा समर्थ होते है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने एवं आधुनिक समाज के निर्माण में सफलतापूर्वक भागीदारी करने में सक्षम महसूस करते हैं।

बिहार में शिक्षा की स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि दस वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है। आज 75 वर्षों बाद भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुँची। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आइए, अपने राज्य के उदाहरण से इस स्थिति को समझें।

एक दृष्टि हम नीचे की तालिका पर डालते हैं, जो बिहार की साक्षरता दर से सम्बन्धित है। साक्षरता दर यह बताती है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। यानी वैसे लोगों की संख्या कितनी है जो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं और कुछ सरल वाक्यों को पढ़ कर समझ सकते हैं।

बिहार की साक्षरता दर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार

कुल साक्षरता दर (%में)	पुरुष साक्षरता दर (%में)	महिला साक्षरता दर (%में)	अनु. जाति साक्षरता दर (%में)	अनु. जनजाति साक्षरता दर (%में)
61.80%	71.20%	51.50%	48.65 %	51.08 %

इस तालिका को देखने से पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति में पूर्व की तुलना में काफी सुधार हुआ है। जनगणना 2001 के अनुसार जहाँ साक्षरता दर आधी से भी कम थी वहाँ 2011 के आँकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता दर 61.8% है। इसके साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। 2001 के आँकड़ों में जहाँ 28% - 33% ही साक्षर थे वहीं 2011 के आँकड़ों में इनकी साक्षरता बढ़कर 48% सें 52% के बीच हो गई है।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। फिर भी, शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। आज भी कुछ बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए एक सर्वे करते हैं।

बच्चों द्वारा बच्चों का सर्वे

4-4 बच्चों की टोली बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों पर कम से कम तीन बच्चों से बात करना है। इन बच्चों की परिस्थिति अलग-अलग है। यह पता करने की कोशिश करें कि किन कारणों के चलते ये बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे।

(1) ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गये ।
वे कौन–कौन से कारण है जिनके चलते ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गये ?

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

(2) ऐसे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते थे

लेकिन उन्होंने बीच में ही जाना बंद कर दिया।
किन कारणों से इन बच्चों ने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया था ?

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

(3) ऐसे बच्चे जो बाल मज़दूर हैं।
किन-किन कारणों से ये बच्चे पढ़ने की उम्र में मज़दूरी करने लगे हैं ?

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

(4) एक शैक्षणिक सर्वेक्षण कराएँ जो एक ही उम्र के सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या और किसी अन्य प्रकार के स्कूल के बच्चों के बीच अन्तर करेंगे?

शिक्षक के लिए:–
बच्चों द्वारा किये गये सर्वे को अध्यापक समूह कार्य के माध्यम से आंकड़ा एकत्रित कर उसका विश्लेषण करेंगे। बच्चों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार क्या मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं? इसके लिए क्या करना चाहिए? चर्चा करें।

सरकार की भूमिका

शिक्षा प्राप्त करना हम सबका हक है। सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को पूरा करने के लिए सरकार ने 2009 ई० में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों

हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को कानूनी स्वरूप दिया, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध न हो तो वह न्यायालय का सहारा ले। इसके साथ-साथ शिक्षा के लिए बेहतर एवं उचित व्यवस्था करना जरूरी है। इस हेतु कई योजनाएँ शुरू की गई, जिसके तहत यह लक्ष्य पूरा हो सके। इसके कुछ उदाहरण हम नीचे देखेंगे।

साइकिल से विद्यालय जाती लड़कियाँ

1 – अनुप्रिया, अंतरा, शालिनी और शबाना मध्य विद्यालय, नगदहा में आठवीं वर्ग की छात्राएँ हैं। यह विद्यालय उनके घर के काफ़ी नज़दीक है। इस कारण विद्यालय आने-जाने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है। पर एक बात उनके मन को हमेशा कचोटती है कि शायद वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएँगी। क्योंकि उच्च विद्यालय की दूरी गाँव से लगभग 5 कि.मी. है। विद्यालय दूर होने के कारण गाँव की अधिकतर लड़कियाँ कक्षा आठ के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें विद्यालय आने-जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके माता-पिता भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। एक दिन अख़बार के माध्यम से पता चला कि कक्षा नौ में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब इस गाँव की सभी लड़कियाँ आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। अब सभी लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं। कक्षा आठ में उत्तीर्ण होने के बाद सबके माता-पिता ने अपनी-अपनी लड़कियों का नामांकन उच्च विद्यालय में करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय प्रधान ने कक्षा नौ में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के बीच साइकिल वितरित करवा दी। साइकिल पाकर ये लड़कियाँ आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखती हैं एवं समूह में विद्यालय जाती हैं।

1. अनुप्रिया एवं उसकी सहेलियाँ क्यों परेशान थीं? उन सबकी परेशानी कैसे दूर हुई ?
2. लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसा क्यों ? कारण सहित लिखें।
3. आपकी समझ में ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है, जिससे लड़कियों को परेशानी न हो?

?

सुमित सरकारी विद्यालय में कक्षा पाँच का छात्र है। वह हमेशा खुश दिखता था,पर इन दिनों चिंतित रहता है। उसकी चिंता का मुख्य कारण किताबों का समय पर नही मिलना है। बाज़ार में भी उसकी पुस्तक नहीं बिकती, इसलिए चाहकर भी वह अपनी पुस्तक बाज़ार से खरीद नहीं पाया। सरकार की यह योजना है कि कक्षा एक से आठ तक के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाएँगी, ताकि सभी वर्गों के बच्चे विद्यालय जा पाएँ। पाँचवीं कक्षा में आए सुमित को तीन माह हो गए। अब तक उसे यह चिन्ता भी सता रही है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा में वह क्या लिखेगा? प्रधानाध्यापक से कहने पर वह स्थिति की जानकारी लेते हैं एवं एक माह में पुस्तकें विद्यालय में पहुँच जाएँगी, ऐसा आश्वासन देते हैं।

1. सुमित की चिन्ता का क्या कारण था? यदि सुमित की जगह आप होते तो आपके मन में क्या-क्या विचार आते? आपस में चर्चा करें।
2. आपको समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में प्रधानाध्यापक ने क्या प्रयास किया?
3. मध्याह्न भोजन योजना, पोशाक योजना, भवन निर्माण योजना, आँगनबाड़ी केन्द्र इत्यादि योजनाओं के विषय में शिक्षकों से चर्चा करें कि आखिर इनकी जरूरत क्यों है?
4. क्या आप अपने विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अपने विचार लिखें।

?

एक नज़र शिक्षा के बाल अधिकार पर

शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही निष्कासित किया जाएगा, सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है,उन्हें मदद कर पुनः नामांकित किया जाएगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका

जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ज़िम्मेदारी है, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की ज़िम्मेदारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी, संतुलित आहार की कमी, दवाईयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, डॉक्टर की कमी आदि अनेक समस्याएँ हैं।

हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य है। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ जैसे कि गाँव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ज़िला अस्पताल आदि से अपेक्षा है कि वे सुचारु रूप से काम करें। गौरतलब है कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केन्द्र 39 थी। वह 2010 में बढ़ कर 4000 रोगी प्रतिमाह हो गयी है।

स्वास्थ्य

* शिशु मृत्यु दर बच्चों के स्वास्थ्य व विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम **(SRS)** सांखियकी रिपोर्ट **2020** के अनुसार हमारे देश में प्रत्येक **1000** पैदा होने वाले बच्चों में से **28** बच्चों की मृत्यु **1** साल के अंदर हो जाती है। पूर्व की तुलना में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है जो हमारे सुधरते स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर इंगित करते हैं। परन्तु अभी भी हम सतत् विकास के शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य से काफी पीछे हैं जिसके अंतर्गत **2030** तक हमें शिशु मृत्यु दर को कम करते हुए **12** प्रति **1000** जन्में बच्चों तक लाना है।

* हमारे देश में औरतों को सबसे ज्यादा खतरा बच्चे को जन्म देने के समय होता है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के **2018-20** के ऑकड़ों के अनुसार प्रत्येक **100,000** औरतों में से **97** औरतों की बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु हो जाती है। ये आँकड़े बताते हैं कि भारत ने नेशनल हेल्थ पालिसी (NHP) के **100** प्राति लाख से कम की मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही हम सतत् विकास के मातृ मृत्यु दर के **70** प्रति लाख से कम के लक्ष्य को प्राप्त करने के सही मार्ग पर हैं।

1. यह दोनों स्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती है? इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं?
2. इन दोनों स्थितियों में बच्चों और औरतों को कैसे बचाया जा सकता है?

?

समानता के आधार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था बेहतर बने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। इसके लिए योजनाएँ बनाने और उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू कराने में सरकार और समाज दोनों की साझी पहल आवश्यक है।

अभ्यास

1. सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा सकती है ? चर्चा करें।
2. शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए?
3. सर्वे क्यों किया जाता है? आपने इस पाठ में किए गए सर्वे से क्या समझा ?
4. एक ही उम्र के बच्चे जो सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या अन्य किसी स्कूल में पढ़ते हैं,उनसे बातचीत करके पता करें कि इन स्कूलों में क्या समानता एवं अन्तर है।

अध्याय 4

समाज में लिंग भेद

आमतौर पर हमारी एक पहचान स्त्री और पुरुष के रूप में होती है। स्त्री और पुरुष के रूप में समाज में हमारी भूमिका कैसे तय होती है? क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है? इस पाठ में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।

नीचे दिए वाक्यों में आप अपनी समझ के अनुसार 'लड़का', 'लड़की' या लड़का-लड़की दोनों भरें.....

कुछ लोग कहते हैं,

जिसके लम्बे बाल हों, वह .... है।

जो पेड़ पर चढ़ जाए, वह .... है।

जो जेवर पहने, वह .... है।

जो ताकतवर है, वह .... है।

जो शर्माए, वह .... है।

जो हाट-बाज़ार जाए, वह .... है।

जो फुटबॉल खेले, वह .... है।

जो घर के काम करे, वह .... है।

जो खेतों में काम करे, वह .... है।

जो नर्सिंग का काम करे, वह .... है।

जो कुश्ती लड़े, वह .... है।

लड़की क्या है ? लड़का क्या है ?

बच्चा जब पैदा होता है, तो वह

लड़की होता है, या लड़का ।

लड़की क्या होती है –

कुछ लोग कहते हैं, जिसके लम्बे बाल हों

वह लड़की है ।

समीर के बाल लम्बे हैं –

पर वह तो लड़का है ।

कुछ लोग कहते हैं जो जेवर पहने वह

लड़की है ।

मदन माला पहनता है और

कानों में बाली भी पहनता है,

और वह लड़का है ।

लड़का क्या होता है –

कुछ लोग कहते हैं जो निकर (हाफ पैन्ट)

पहने और पेड़ों पर चढ़े

वह लड़का है ।

शांति निकर पहनती है, झट पेड़ पर

चढ़ जाती है और वह तो लड़की है ।

कुछ लोग कहते हैं जो ताकतवर हों

और भारी बोझ ढो पाएँ वे लड़के हैं।

सईदा और नफीसा दो-दो मटके या

लकड़ी के गट्ठर उठाती हैं

और वे लड़कियां हैं।

साभार: लड़की क्या है लड़का क्या है ?
: कमला भसीन, जागोरी द्वारा प्रकाशित पुस्तिका

नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें–

- अगर किसी लड़की के बाल छोटे हों, तो क्या आप मजाक उड़ाते हैं ?
- कोई लड़का माला या कान में बाली पहनता है, तो क्या वह लड़कियों जैसा हो जाता है ?
- परिवार में लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएँ। इनमें से कौन से कार्य हैं, जो लड़के नहीं कर सकते और क्यों ?
- क्या लड़कियाँ लड़कों के समान मैदानों में खेलने जाती हैं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं जाती हैं ?
- अगर आप लड़की हैं, तो क्या बड़ी होकर सुरक्षा बल में काम करना पसन्द करेंगी, और अगर आप लड़का हैं, तो क्या नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना पसन्द करेंगे? हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं ?

मैं लड़की हूँ, और मैं क्रिकेट खेलती हूँ।

मैं लड़का हूँ, और मुझे स्वेटर बुनना बहुत पसन्द है।

हमें इससे कोई परेशानी नहीं तो फिर समाज परेशान क्यों ???

लिंग मनुष्य की जैविक संरचना है। प्रजनन अंग यह निर्धारित करते हैं कि हम स्त्री हैं या पुरुष। बच्चे का जन्म एवं स्तनपान जैसे कार्यों में महिलाओं के विशिष्ट एवं प्राकृतिक गुण होते हैं। यह फर्क जैविक संरचना के कारण है। अक्सर लोग 'जेंडर' का अर्थ लिंग यानी स्त्रीलिंग व पुलिंग के लिए करते हैं। यह एक गलत धारणा है। 'जेंडर' हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। सामाजिक रूप से यह तय होता है कि महिला एवं पुरुष को क्या पहनना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि। ये सभी लिंग भेद, जेण्डर या सामाजिक लिंग कहलाते हैं। समय के साथ-साथ समाज बदलता है।

इस तरह सामाजिक लिंग की परिभाषा भी बदलती है। जैसे-कई वर्ष पूर्व लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब इस सोच में कुछ परिवर्त्तन आया है।

लड़के और लड़कियों का विकास

परिस्थिति–1 : जावेद और शबाना का बड़ा होना

खुर्शीद और उनकी पत्नी रेशमा दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। उनके दो बच्चे हैं, शबाना और जावेद। शबाना सातवीं कक्षा की छात्रा है, और जावेद आठवीं कक्षा का छात्र। सुबह उठ कर परिवार के सारे लोग एक नियमित दिनचर्या के अनुसार अपने-अपने कामों में लग जाते हैं। चाय पीने के बाद हुसैन घर की सफाई करते हैं, रेशमा रसोईघर का काम संभालती है। बच्चे सारे कमरों का बिस्तर ठीक कर पढ़ने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद शबाना और जावेद अपने अलावा माँ और पिता के लिए भी लंच बॉक्स तैयार करते हैं। शाम को विद्यालय से लौटने के बाद दोनों हाफ पैंट और टी-शर्ट पहन कर क्रिकेट खेलने नजदीक के मैदान में चले जाते हैं। दोनों अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। जावेद लड़कों की टीम का सदस्य है और शबाना लड़कियों की टीम की कप्तान है। दोनों बड़े होकर देश के लिए खेलना चाहते हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए इनके माता-पिता पूरी तरह से इन्हें सहयोग करते हैं।

परिस्थिति–2 : श्यामा की कथा

श्यामा समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों होता है ? वह सुबह से उठकर ढेर सारा काम अकेले ही करती है। गाय लेकर जंगल में जाती है। किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। वह भी अपने भाई रवि की तरह स्कूल जाना चाहती है। माँ, पिताजी, दादा सब यही कहते हैं, ''इतनी दूर लड़की जाति को पढ़ने नहीं भेजेंगे।'' बस पाँचवीं तक गाँव के स्कूल में पढ़ा लिया इतना बहुत है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा? उसे याद है, चाची जब चटनी के लिए आम मँगाती तो वह दौड़कर जाती और झट से तोड़कर ले आती। गाँव के मास्टर जी कहते, ''ये तो हिरनी है।'' पर उसे एक बार भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया। कोई पूछता है, तो पिताजी कह देते हैं कि गाँव में मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। श्यामा के पिता की सोच है कि अंततः श्यामा को तो घर का काम-काज ही करना है।अब तो पिताजी श्यामा की अम्मा से एक दिन उसके विवाह करने की बात कर रहे थे।

परिस्थिति–3 : गोविन्द का बड़ा होना

सफापुर गाँव में गोविन्द नाम का एक 13 वर्षीय लड़का है। वह आठवीं कक्षा में पढ़ता है। उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं। उसके दो छोटे भाई-बहन हैं। दिनभर खेतों में मजदूरी के कारण उसकी माँ थक जाती है। इस कारण कभी-कभी वह घर का काम नहीं कर पाती। उसके माता-पिता में झगड़ा भी हो जाता है। इस झगड़े में कभी माँ की पिटाई भी हो जाती है। गोविन्द को यह अच्छा नहीं लगता। वह माँ की मदद करने के लिए घर के कई काम करता है, जैसे– जलावन की लकड़ी लाना, पानी भरना, बरतन साफ करना, झाड़ू लगाना। माँ के घर लौटने के पहले वह सब्ज़ी बना कर भी रख लेता है। घर के काम के कारण वह कभी-कभी दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा पाता है। इस कारण उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाते हैं। वह सोचता है,क्या लड़कों के लिए घर का काम करना ठीक नहीं है?

ऊपर के तीनों उदाहरणों को पढ़ने के बाद लगता है कि हम अलग-अलग तरीके से सयाने होते हैं और हमारे बड़े होने के ढंग में भी फर्क हो सकता है। इसी प्रकार,जब हम अपने माता-पिता या बड़े बुजुर्गों से बात करें, तो पाएँगे कि उनके बचपन और हमारे बचपन में भिन्नता है। अर्थात् उनके बड़े होने के तरीकों में अन्तर हो सकता है। बड़े होने के अनुभवों के पीछे कई सामाजिक धारणाएँ हैं, जिन पर हमें विचार करना चाहिए।

1. अगर आप श्यामा की जगह पर होते तो क्या करते ?
2. श्यामा के परिवार की सोच का श्यामा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
3. शबाना, जावेद, श्यामा और गोविन्द के जीवन में किस तरह का फर्क है ?
4. गोविन्द के दोस्त उसे क्यों चिढ़ाते हैं ? क्या उनका चिढ़ाना उचित है ?
5. आप गोविन्द के दोस्त होते तो क्या करते ?

6. पीछे दिए गए उदाहरणों के आधार पर आप किस रूप में बड़ा होना पसन्द करेंगे और क्यों ?

कैसे तय होती है, हमारी भूमिका

पहले चर्चा हो चुकी है कि सामाजिक लिंग से हमारे जीवन की कई बातें तय होती हैं। आइए, इसे समझने का प्रयास करते हैं।

सूची बनाइए–

लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े	लड़कों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े

लड़कियों के खेलने के सामान	लड़कों के खेलने के सामान

1. लड़के एवं लड़कियों के पहनावे और खिलौने में फर्क क्यों है? चर्चा करें।

इस सूची से स्पष्ट होता है कि समाज लड़के और लड़कियों में अन्तर करता है। यह अन्तर उसके पहनने के कपड़े और खेलने वाले खिलौनों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्हें खेलने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि लड़कों को अक्सर खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, और लड़कियों को गुड़िया। बचपन में इन खिलौनों को देने का भी एक मतलब होता है। ये खिलौने इस बात को दर्शाने के माध्यम होते हैं कि बड़े होकर वे जब स्त्री या पुरुष होंगे तो उनका जीने का तरीका अलग-अलग होगा।

बचपन से लड़के-लड़कियाँ समाज द्वारा तय की गई पुरुष व स्त्री की भूमिकाओं को सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। धीरे-धीरे वे सोचने लगते हैं कि यह तो उनके प्राकृतिक गुण हैं। जीवन भी उसी आधार पर जीना चाहिए। अगर गहराई से विचार करें तो यह अन्तर प्रायः प्रतिदिन की छोटी-छोटी बातों में देखने को मिलती हैं। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के को रौबदार आवाज में बात करनी चाहिए आदि ये सब बताने भर के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएँ होंगी। बाद के जीवन में ये सारी चीजें तय करती हैं कि आप कौन से विषय पढ़ेंगे? आपके व्यवसाय क्या होंगे? आपके जीने के तरीके क्या होंगे? यह सब सामाजिक रूप से तय होता है।

ऊपर दी गई घड़ियों के चित्रों को बड़े आकार के चार्ट पेपर पर बनाकर माता-पिता के उठने से लेकर सोने तक की दिनचर्या को बाहरी खंड में लिखें।

1. आपके घर के ज़्यादातर काम कौन करता है? और क्यों?

घरेलू कार्य का मूल्य

दूसरे समाजों की तरह अपने समाज में भी पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्त्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों का दर्ज़ा एक जैसा नहीं होता। आइए, देखते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता किस प्रकार से है

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के आँकड़ें

राज्य	वेतन के साथ काम	वेतन के साथ काम	बिना वेतन के काम	बिना वेतन के काम	काम के कुल घंटे	काम के कुल घंटे
	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष
	कार्य के घंटे (प्रति सप्ताह)	कार्य के घंटे (प्रति सप्ताह)	कार्य के घंटे (प्रति सप्ताह)	कार्य के घंटे (प्रति सप्ताह)	कार्य के घंटे (प्रति सप्ताह)	कार्य के घंटे (प्रति सप्ताह)
हरियाणा	23	38	30	2	53	40
तमिलनाडु	19	40	35	4	54	44

ऊपर के आँकड़े और अपने उत्तर पर गौर करने पर पता चलता है कि अधिकांश महिलाएँ पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। पर वास्तविकता यह है कि इतना काम करने के बावजूद हम यह सोचते हैं कि घरेलू काम भी क्या कोई काम है? घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे– घर की देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना– विशेषकर बच्चों , बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जो काम घर के अन्दर किया जाता है, उसे काम के रूप में पहचान नहीं मिलती। इसे ऐसा समझ लिया जाता है कि ये तो औरतों के स्वाभाविक गुण हैं। इसके लिए किसी को कोई खर्च नहीं करना पड़ता इसलिए समाज में इन कार्यों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है। इस सोच के चलते महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर माना जाता है।

क्या इन कामों का कोई मूल्य नहीं?

बहुत से घरों में विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत सारे काम करते हैं जैसे– झाड़ू-पोछा करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे-छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। इनमें ज़्यादातर घरेलू कामगार औरतें होती हैं। कभी-कभी इन कार्यों के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को भी रखा जाता है। घरेलू कामों को ज़्यादा महत्त्व नहीं दिया जाता इसलिए इन कामों के बदले जो मज़दूरी दी जाती है, वह भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी से काफी कम होती है। एक घरेलू कामगार का काम सुबह पाँच बजे से शुरू होता है और देर रात तक चलता रहता है। इतनी जी-तोड़ मेहनत करने के बावजूद उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, वह कोई एक नहीं होता है, बल्कि कई कामों का मिश्रण होता है जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े साफ करना, फर्श साफ करना, खाना पकाना इत्यादि।

ग्रामीण इलाकों में इन कामों के अलावा महिलाएँ दूर से पीने का पानी, जलावन के लिए लकड़ियाँ भी लाती हैं। वे पशुओं की देखभाल तथा खेतों में काम आदि भी करती हैं। ये ऐसे काम हैं, जिनमें काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ये काम शरीर को थकाने वाले होते हैं, जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

सामाजिक लिंगभेद अर्थात् स्त्री और पुरुष में फर्क समाज में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। यही कारण है कि लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण स्त्रियों में खून की कमी एवं कमजोरी का पाया जाना एक आम बात है। इस तरह से देखें तो दोनों ओर से असमानताएँ हैं। एक तरफ काम का बोझ अधिक है, तो दूसरी तरफ मौके कम मिलते हैं, ध्यान भी कम दिया जाता है। आगे के पाठ में हम चर्चा करेंगे कि इस सामाजिक असमानता की स्थिति को बदलने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।

अभ्यास

1. सामान्यत: एक घर में 'लड़का' और 'लड़की' के रूप में कौन ये काम करेगा ?
   (अ) मेहमान के लिए एक गिलास पानी लाना।
   (ब) माँ के बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाना।
   (स) घर के खिड़की दरवाजे की सफाई करना।
   (द) पिताजी की मोटर साइकिल साफ करने में मदद करना।
   (य) बाजार से चीनी खरीदना।
   (र) किसी आगंतुक के आने पर दरवाजा खोलना।
2. आपके परिवार या आस-पड़ोस में क्या लड़कियों और लड़कों में भेद होता है? आपकी समझ से यह भेद किस प्रकार का होता है ?
3. महिलाओं की तुलना में पुरुषों का काम, क्या ज़्यादा मूल्यवान होता है? अगर नहीं तो क्यों?
4. घरेलू मज़दूरी करने वाली महिलाओं से बातचीत कर उनके कार्यों का अर्थात् विवरण काम के घंटे, समस्याएँ एवं मज़दूरी आदि की सूची तैयार करें।
5. अगर आपकी माँ घर का काम दो दिनों के लिए आपको सौंप दे, तो उन कार्यों को करने में क्या समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं ?

अध्याय 5

समानता के लिए महिला संघर्ष

कौन क्या काम करता है?

निम्नलिखित काम करने वालों के चित्र बनाइए -

खेती का काम,
पढ़ाने-लिखाने का काम,
अस्पताल में मरीजों की देखभाल,
दुकान चलाते हुए,
वैज्ञानिक का काम
ईंट भट्ठे पर काम करते हुए

अपनी कक्षा द्वारा बनाये गये चित्रों को देखकर गिनें एवं अलग-अलग लोगों की संख्या दी गई तालिका में दर्शाएँ।

(शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर तालिका बनायी जाए।)

काम	पुरुष	महिला
खेती का काम		
पढ़ाने-लिखाने का काम		
अस्पताल में मरीजों की देखभाल		
वैज्ञानिक का काम		
दुकान चलाते हुए		
ईंट भट्ठे पर काम करते हुए		
कुल		

1. तालिका देखकर बताएँ कि किन कामों के लिए महिलाओं के चित्र ज़्यादा संख्या में हैं और किन कामों के लिए पुरुषों के।
2. ऊपर दिए गए कामों के अलावा ऐसे कौन से काम हैं, जो महिलाएँ पुरुषों की तुलना में ज़्यादा करती हैं और कौन से काम महिला की तुलना में पुरुष ज़्यादा करते हैं ? ऐसे 5-6 उदाहरण दें।

क्या महिलाएँ योग्य नहीं?

रीता मैडम की कक्षा में तीस बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में इसी तरह का अभ्यास कराया और परिणाम इस प्रकार रहा–

काम	पुरुष चित्र	महिला चित्र
खेती का काम (किसान)	20	10
शिक्षक	18	12
नर्स	0	30
वैज्ञानिक	25	5
दुकानदार	18	12
ईंट भट्ठे पर काम करते हुए	20	10
कुल		

बच्चों ने चित्रों को अपनी समझ के आधार पर बनाया है। जिसमें ज्यादातर छात्रों ने शिक्षक के रूप में पुरुषों को, किसान के रूप में भी पुरुषों को, नर्स के रूप में महिलाओं को, एवं सैनिक के रूप में पुरुषों को, दर्शाया। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है कि कुछ विशेष कार्य पुरुष ही कर सकते हैं, और कुछ खास तरह के कार्य महिलाएँ ही कर सकती हैं।

उदाहरण के लिए,बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएँ ही अच्छी तरह से नर्स का काम कर सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इस कार्य को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी प्रकार यह धारणा बन गयी है कि लड़कियाँ और महिलाएँ तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं।

किरण बेदी, भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला

लोग इसी प्रकार की धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत-सी लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने का मौका नहीं मिलता है। योग्यता होते हुए भी अधिकांश लड़कियों को स्कूली शिक्षा के बाद विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है।

Navy inducts women pilots

Kochi, Nov. 21 (PTI): Two women aviators have joined the navy, a first in the armed forces that comes as the air force debates whether to allow women fighter pilots.

Sub Lieutenant Seema Rani Sharma and Sub Lieutenant Ambica Hooda were inducted on Friday into the navy's Naval Aviation unit 56 years after it was set up.

They will serve as observers — essentially airborne tacticians — on Mar- trainee in flying after the course, admitted that the path to the induction wasn't easy. "The training was a great challenge, both mentally and physically. But never at any stage did we think of giving up. We enjoyed the training throughout," she said.

Seema, who is from Uttar Pradesh, said: "We would give it back to our service whatever we have learned. This is our ambition in life from now onwards".

हम मान लेते हैं कि महिलाओं एवं पुरुषों के काम करने की योग्यताएँ अलग-अलग हैं। यह फर्क लड़का या लड़की होने से नहीं आता। हम उनके काम के बारे में कैसे सोचते हैं। उन्हें कैसे मौके मिलते हैं, इन सभी बातों से तय होता है कि कौन किस काम के लिए योग्य हो सकता है।

आपके ख्याल से वे काम जिन्हें आमतौर पर पुरुष करते हैं, क्या महिला नहीं कर सकती है? और जो काम आमतौर पर महिलाएँ करती हैं, क्या पुरुष नहीं कर सकते? चर्चा करें। ऐसा बँटवारा क्यों है? इसका उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?

परिवर्तन के लिए जुनून

1. गुड़िया

पढ़ाई का जुनून क्या होता है, इसे साकार किया मो0 असीन इदरीसी की 6 संतानों में सबसे छोटी बेटी गुड़िया ने। उसने देखा कि उसके माता-पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं हैं। एक दिन वह माता-पिता को घर में बंद कर 13 किमी0 पैदल भागकर उत्प्रेरण केन्द्र नोखा रोहतास चली गयी। उसने वहां अपना नामांकन करा लिया। यह केन्द्र लड़कियों के लिए आवासीय शाला है। उसके इस कदम की सूचना उसके माँ-बाप को 2 दिनों बाद मिली। सूचना मिलने पर उसके पिता, जो पेशे से ड्राइवर हैं, उत्प्रेरण केन्द्र पहुँचे। उन्होंने गुड़िया को वहाँ से वापस घर ले आना चाहा किन्तु गुड़िया वहां से नहीं आना चाहती थी। उसके पिता को अपने समाज की बंदिशों की चिंता थी। किन्तु गुड़िया की जिद्द के आगे उनकी एक न चली। इस तरह गुड़िया के इस कदम से, आस-पास के गाँव में, शिक्षा के प्रति लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है।

भारत में 83 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधे रोपना, खर-पतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना शामिल हैं। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, ऐसा क्यों ?

शिक्षक के साथ चर्चा करें।

2. पूजा

पूर्णिया जिले के एक गाँव की एक छोटी-सी बच्ची है—पूजा। अपने गाँव की हमउम्र लड़कियों को विद्यालय जाते देख उसे भी पढ़ने की इच्छा हुई। घर का सारा काम निपटाकर पूजा चोरी-छिपे एक वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। पूजा ने पुलिस में कार्यरत अपने पिता को समझाने की कोशिश की। अन्ततः पिताजी मान गए और उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया।

3. शाहुबनाथ

शाहुबनाथ 45 साल की एक महिला है। वह केरल राज्य परिवहन की एक यात्री बस पूरे आत्मविश्वास से चलाती हैं। शाहुबनाथ को गाड़ी चलाने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन वह यात्रियों से लदी हुई इतनी भारी भरकम बस चला पाएगी। फिर यह सब हुआ कैसे ?

जितना मुश्किल है बस चलाना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है अधिकारियों को यह यकीन दिलाना कि मैं यह काम भी कर सकती हूँ। कई यात्री तो टिकट खरीदने के बाद भी चालक की सीट पर शाहुबनाथ को बैठे देखकर उतर जाते थे। शाहुबनाथ ने बताया– एक बार मेरी बस में सिर्फ एक यात्री ने सफर किया। सारे यात्री मुझे देखते ही उतर गए थे। उस दिन मैं बस चलाते-चलाते रोई भी थी। रात का सफर था। दूसरे दिन घर आई तो फूट-फूटकर रोने लगी। बिल्कुल बच्चों की तरह। मेरे पति भी रोने लगे। दोनों खूब राए। मैंने कहा, 'मैं नहीं करूँगी अब यह काम।' पति ने कहा ठीक है, ''अगर इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो, पर मेरी तो इच्छा है तुम वही करो जो आमतौर पर लोग नहीं किया करते।''

मैसूर की के०निनगम्मा
भारत की प्रथम महिला
बस ड्राइवर

मैं वापस ड्यूटी पर गई। धीरे-धीरे यात्रियों ने मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा की। फिर चार से आठ, आठ से सोलह यात्री हुए। अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बस चलाती हूँ।

क्रियाकलाप

1. गुड़िया और पूजा क्या चाहती थीं और इसे पूरा करने के लिए क्या किया?
2. अपने आस-पास से कुछ महिलाओं से बात कर के उनके अनुभव लिखें – उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक की, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह का प्रोत्साहन मिला आदि।
3. शाहुबनाथ को बस चालक बनने में कठिनाइयाँ क्यों आई?

शिक्षक के साथ चर्चा करें।

महिलाओं के आंदोलन

ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार दिखता है जैसे कि स्कूली शिक्षा, साक्षरता, वोट देने का अधिकार, कानूनी हक एवं स्वास्थ्य सेवाएँ। यह सुधार काफी हद तक महिलाओं द्वारा आंदोलन छेड़ने की बदौलत हो पाया है।

महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर एवं जन समूह बनाकर इन परिवर्त्तनों के लिए संघर्ष किया है। विभिन्न तरह के आंदोलनों की झलक यहाँ देखते हैं।

लंबे समय से दहेज के कारण बहुओं को मारा-पीटा, और जलाया जा रहा है। महिलाओं ने दहेज के खिलाफ 1980 के दशक में जोरदार आंदोलन छेड़ा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। खास कर उन औरतों ने जिन्होंने अपनी बहन-बेटी दहेज़ के कारण खोई थी। महिला समूह ने दहेज पर जगह-जगह नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया, प्रताड़ित महिलाओं व उनके परिवारों को कानूनी सलाह और मानसिक बल दिया।

महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर कचहरी का दरवाजा खटखटाकर अपनी माँगों को रखा। आंदोलन की वजह से यह समाज का बड़ा मुद्दा बन गया और समाचार पत्रों में भी खासी बहस हुई। परिणामस्वरूप दहेज कानून बना ताकि वैसे लोगों को दंड दिया जा सके, जो दहेज संबंधित अपराध में संलिप्त है।

दहेज के खिलाफ

तोड़-तोड़ के बंधनों को,
देखो बहनें आती हैं
ओ देखो लोगों, देखो बहने आती हैं,
आएँगी, जुल्म मिटाएँगी,
वो तो नया जमाना लाएँगी।

घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन

क्या आपने परिवार में, अपने आस-पड़ोस में महिलाओं के साथ मार-पीट, गाली-गलौज, और छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित होते देखा है? या फिर सड़क चलते लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ होते देखा है?

घरेलू हिंसा महिलाओं की एक आम और गंभीर समस्या रही है। इसको लेकर महिला समूह लंबे समय से संघर्ष करती रही है, तब जाकर 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। यह महिलाओं का घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया कानून हैं।

शराब विरोधी आंदोलन

इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? क्या आपके इलाके में ऐसी समस्या है? **?**

चिपको आंदोलन

यह औरतें ऐसा क्यों कर रही हैं? शिक्षक के साथ चर्चा करें।

लिंग जाँच विरोधी आंदोलन

इस पोस्टर द्वारा क्या कहने की कोशिश की जा रही है? **?**

अभ्यास

1. आपके विचार से महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा है कि वो पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती हैं, आपके विचार से यह महिलाओं के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है?
2. महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किन्हीं दो प्रयासों का उल्लेख करें।
3. समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जा सकते हैं? उल्लेख करें।
4. किसी ऐसी महिला की कहानी लिखें, जिसने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किया हो।

अध्याय 6

मीडिया और लोकतंत्र

आप कोसी के बड़े इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ के विषय में अवश्य सुना होगा।

यह ख़बर आपको किन-किन माध्यमों से पता चलती है।

क्या आपके कोई रिश्तेदार, परिचित अथवा मित्र इससे प्रभावित होते हैं?

उनके हालचाल आपको किस माध्यम से प्राप्त होते हैं?

आप जब इन प्रश्नों का उत्तर तैयार करेंगे तो संचार माध्यमों की एक सूची आपके हाथ में होगी।

समाज में विचारों एवं ख़बरों के आदान-प्रदान का माध्यम या साधन ही मीडिया कहलाता है। समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टी.वी. चैनल, फोन-फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि संचार माध्यमों के विभिन्न रूप हैं जिसकी पहुँच देश-विदेश के जनसमूहों तक होती है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं।

'मीडिया' अंग्रेज़ी शब्द 'मीडियम' से लिया गया है। मीडियम का अर्थ माध्यम है।

इस पाठ में हम सब मिलकर संचार माध्यमों के बारे में अपनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे। हम देख पाएँगे कि मीडिया हमारे रोज़मर्रा के जीवन और समाज को किस तरह से प्रभावित करती है।

मीडिया के तकनीक में बदलाव

आज के दौर में संचार माध्यम हमारी ज़िन्दगी के महत्त्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अख़बार, मोबाइल, टी.वी. के बिना रोज़मर्रा के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मोबाइल और इन्टरनेट का व्यापक उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है।

जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली तकनीक निरंतर बदलती रहती है। बहुत समय पहले कबूतर उड़ाकर, तुरही एवं डुगडुगी बजाकर या ढोल पीटकर संदेश पहुँचाने की प्रथा थी। आज भी कई गाँवों व शहरों में लाउडस्पीकर द्वारा सूचनाएँ दी जाती हैं। संदेश पहुँचाने की यह प्रथा तकनीक के विकास के साथ-साथ बदलती गई। बदलते हुए तकनीक का प्रभाव है कि आज अखबार, टी.वी., रेडियो के ज़रिए ख़बरों और सूचनाओं को बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। कई बार घटना का विवरण, लोगों से बात-चीत एवं दृश्य का प्रसारण सीधे घटना -स्थल से किया जाता है।

कुछ चित्रों के माध्यम से हम यह देख सकेंगे कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के प्रयोग में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है।

लेटर प्रेस

ऑफसेट छपाई

हम संचार माध्यमों की चर्चा दो रूपों में करते हैं– अख़बार, पत्र-पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यम के रूप में और टी.वी., रेडियो, इन्टरनेट आदि प्रचलित माध्यमों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में।

तकनीक के इस विकास का प्रभाव हमारी अपनी जिन्दगी और समाज पर भी पड़ता है। जरा सोचिए कि टी.वी. के आने के बाद हमें पूरी दुनिया की जानकारी चित्रों सहित मिलने लगी है। हम घर बैठे अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले जानवरों को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि पूरी दुनिया मानो सिमटकर हमारे कमरे में समा गई हो! कुछ वर्षों पूर्व तक हम सभी 10वीं और 12वीं का परीक्षाफल देखने के लिए सुबह के समाचार पत्र का इंतज़ार करते थे और अब परीक्षाफल की घोषणा होते ही हम इंटरनेट के माध्यम से अतिशीघ्र अपना परीक्षाफल देख लेते हैं।

आओ करें

1. आप पाँच ऐसी खबरों की सूची बनाएँ जो भारत के किसी अन्य राज्यों (बिहार को छोड़कर) की हैं और इसकी जानकारी आपको टी.वी. से प्राप्त हुई है।
2. ऊपर दिए गए चित्र को देख कर यह बताएँ कि मीडिया के तकनीक में क्या बदलाव आए और इनका क्या प्रभाव पड़ा?
3. आपके क्षेत्र में केबल टी.वी. का प्रयोग कब शुरू हुआ? इससे क्या फर्क पड़ा?

मीडिया द्वारा लोगों में जागरूकता

संचार माध्यम देश-विदेश की ख़बरों के साथ-साथ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को भी हम तक पहुँचाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध करते हैं। असहमत होने की स्थिति में नागरिक विरोध के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र लिखना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, जुलूस निकालना, धरना इत्यादि करके सरकार को अपने कार्यक्रमों पर पुनः विचार के लिए आग्रह कर सकते हैं। अख़बार, टी.वी., रेडियो में इनकी ख़बरें, रपट एवं विचार-विमर्श का प्रसारण होता है। इस प्रकार इन बातों की चर्चा लोगों तक पहुँचती है और यह जनमानस में आम बहस का मुद्दा बन जाता है। विभिन्न राजनैतिक दल इस बात को भली-भांति समझते हैं कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है।

मनरेगा की न्यूज़

पटना के समीप एक गाँव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत मिट्टी कटाई का कार्य किया जा रहा था। इस काम के लिए मज़दूरों की जगह बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था। इस कार्यक्रम में लोगों को रोज़गार के अधिक-से-अधिक मौके दिए जाने पर बल दिया गया है। मशीनों का इस्तेमाल वर्जित है। मशीनों की जगह अधिक-से-अधिक लोगों को काम दिया जाता

है और गाँव में रहने वालों को कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है परंतु, यहाँ नियमों की अवहेलना की जा रही थी।

मनरेगा– (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे नरेगा नाम से जाना जाता था।

मीडियाकर्मियों के द्वारा इस ख़बर को प्रमुखता से अख़बारों एवं न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित किया गया।

ख़बरों की जानकारी उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई और गाँव पहुँचकर उन्होंने मशीनों से किए जा रहे काम को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने जाँच की और पाया कि मज़दूरों की जाली उपस्थिति दर्ज कर आवंटित राशि का आपस में बंदर-बाँट किया जाता है। जाँच अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर मज़दूरों को उनका हक दिलाया।

लोकतंत्र में हम सभी को बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का हक है। मीडिया इस आज़ादी का उपयोग करती है और इस कारण लाखों लोगों तक अलग-अलग विचार एवं ख़बरें पहुँचाती हैं। संचार माध्यम सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं नाकामियों को जनता तक पहुँचाती है। इस तरह लोगों में सार्वजनिक बातों पर अपने विचार बनाने में मीडिया की प्रमुख भूमिका है।

क्रियाकलाप

1. पिछले पन्ने पर दिए गए चित्र में आप किन-किन तरह के विरोध करने के तरीके पहचान सकते हैं? इनका मीडिया के साथ क्या संबंध है?
2. पटना के समीप गाँव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत चल रहे काम में मीडिया द्वारा क्या किया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा?
3. क्या कभी मीडिया द्वारा गलत ख़बरें भी पहुँचायी जाती हैं? चर्चा करें।

?

ख़बरों की समझ

नीचे दिए गए एक ही विषय वस्तु पर दो विभिन्न ख़बरों को पढ़े।

झमाझम बारिश से मौसम सुहाना लोगों को मिली गर्मी से राहत

(न्यूज़ ऑफ बिहार की रिपोर्ट)

14 जून 2009

सामान्यतः 14 जून के आसपास बिहार में मानसून प्रवेश होता है। पँरतु,मानसून आने के पूर्व ही झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से पिछले कुछ दिनों से तपिश झेल रहे लोगों को काफी राहत मिली। दिन में एकाएक काले—काले बादल मँडराने लगे। आकाश में बिजलियाँ चमकने लगीं। बादलों की तेज़ गरज सुनाई देने लगी और फिर तेज़ हवा और ओले के साथ बारिश होने लगी। इससे लोगों को गर्मी से निज़ात मिली साथ ही मौसम सुहावना हो गया। बारिश से तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली। हालाँकि मौसम के बिगड़ते मिजाज़ ने तबाही भी खूब मचाई। कई लोग बारिश में भीगते नज़र आये। सड़कों पर व आवासीय कॉलोनियों में कई पेड़ गिर गए जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया।

मानसून पूर्व बारिश से ही खुली नगर निगम की पोल

(बिहार रोज़ाना की रिपोर्ट)

14 जून 2009

पानी की दो बूँद से ही खुली नगर निगम की पोल। लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद कुछ देर की बारिश में ही सड़कों, गली—मुहल्लों में झील-सा नज़ारा है। यह थोड़ी देर के लिए हुई बारिश के बाद का नज़ारा है। नगर के लोग डर गए हैं कि अभी तो पूरी बरसात बाकी है। जब हल्की बारिश में यह हाल है तो जुलाई-अगस्त में क्या होगा? बारिश के कारण कई सड़कों पर जाम की स्थिति भी बन गई। मुहल्लों में नाला का गंदा पानी भी उफन कर सड़कों पर फैल गया है। हर साल नगर निगम की ओर से सड़कों की सफाई व छोटे—बड़े नाले की उड़ाही पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं,पर आम नागरिकों की दुर्गति में कोई कमी नहीं आ रही है। थोड़ी बारिश में ही नाले का गंदा पानी व मलमूत्र भी फैल जाता है। मुख्य सड़कों की कौन कहे, गली मुहल्ले की सड़कें भी बारिश व नाले के गंदे पानी से बजबजा रही है।

क्रियाकलाप

1. ''न्यूज़ ऑफ बिहार'' की ख़बर में किस बात की प्रमुखता दी गयी है?
2. दोनों रपट में क्या अंतर है? चर्चा करें।

?

ख़बरों के महत्त्व को समझते हुए ज़रूरी हो जाता है कि ख़बरें संतुलित हों। एकतरफा ख़बरें हमें किसी भी विषय की सही समझदारी कायम करने नहीं देती। इन दोनों ख़बरों को दो अलग-अलग तरीकों से लिखा गया है। अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। हमें किसी भी ख़बर को पढ़ते हुए उसमें छूटे हुए पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। पाठक अपनी स्वतंत्र राय कायम कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि ख़बरों के गुण-दोषों पर विचार करते हुए इसे पढ़ें। इस तरह जिन पहलुओं को प्रमुखता नहीं दी गई हो वह ध्यान में आ जाती हैं।

संचार माध्यम एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम संचार माध्यमों के द्वारा ही देश-दुनिया की सभी जानकारियाँ पाते हैं। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है।

हमारी सोच और विचार को प्रभावित करने में मीडिया की प्रमुख भूमिका को देखते हुए हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम दी जा रही ख़बरों का विश्लेषण करें। इस विश्लेषण के लिए अपने-आप से कुछ प्रश्न कर– इस रिपोर्ट से कौन सी जानकारी देने की कोशिश की गई है, कौन सी जानकारी छोड़ दी गई है, इसे समझने की कोशिश करें।

मीडिया का ध्यान किन बातों पर है?

किन घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केन्द्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमने इस पाठ में मनरेगा कार्यक्रम की एक घटना के बारे में पढ़ा। इस घटना में हम मीडिया की प्रभावकारी भूमिका को देख सकते हैं। मीडिया की पहल के कारण हमारा ध्यान उस विषय पर गया और लोगों को मनरेगा कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में जानकारी भी मिली।

ऊपर दिए गए ख़बरों में से कौन-सी ख़बर हमारे जीवन से ज़्यादा जुड़ती है?

कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केन्द्रित कराने में असफल रहते हैं, जो हमारे आम जन-जीवन के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए– गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को मूलभूत सरकारी सुविधाएँ मुहैया कराना हमारे राज्य की एक बड़ी चुनौती (समस्या) है। राज्य भर में हज़ारों लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। फिर भी संचार के माध्यम इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर चर्चित व्यक्ति, सिनेमा, खेल इत्यादि विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ बातों पर मीडिया का अधिक ध्यान होता है और कई जरूरी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे विचारों का प्रभावित करने में मीडिया की प्रमुख भूमिका होती है। इस कारण प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम द्वारा तय किया जाता है कि कौन से सामाजिक मुद्दों को महत्त्वपूर्ण माना जाय।

प्रमुख संचार माध्यमों की इस भूमिका से असंतुष्ट होकर कुछ लोग वैकल्पिक माध्यमों को तलाशने लगे हैं। ये बात नीचे दिए उदाहरण से समझ सकते हैं।

आल वूमेन न्यूज़ नेटवर्क

मुज़फ्फरपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक जगह है– दियारा। दिसम्बर 2007 में यहाँ की पाँच महिलाओं ने एक छोटे वीडियो कैमरे की मदद से आस.पास की छोटी-छोटी ख़बरों को गाँव के लोगों तक पहुँचाना शुरू किया। ये महिलाएँ बिना बिजली और टेलीफोन के लोगों की मूलभूत समस्याओं को सरल भाषा में उन तक पहुँचाती हैं।

लेकिन गाँव से लड़कियों को निकालकर उनके हाथ में कैमरा थमाना आसान न था। इसके लिए उनके घर के लोगों से बात करनी पड़ी। पत्रकारिता है क्या? उन्हें ये समझाने में पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को काफी मेहनत करनी पड़ी। जब ये लड़कियाँ कैमरा, माइक और ट्राइपोड के साथ ख़बरें इकट्ठा करने निकलीं तो इन्हें गाँव के कई लोगों की फब्तियाँ भी सुननी पड़ीं। इन सबके बावजूद लगभग 50 मिनट का पहला दृश्य बनकर तैयार हुआ। पहली बार जब इस दृश्य को चादकेवारी पंचायत हाट में दिखाया गया तो वहाँ के ग्रामीणों के लिए यह आकर्षण की एक नई चीज थी।

इस प्रकार का कोई अन्य कार्यक्रम के बारे में जानते है तो चर्चा करें?

अप्पन समाचार '**आल वूमेन न्यूज़ नेटवर्क**' नाम से जाना जाता है। एक गाँव से शुरू होकर आज यह ज़िले के करीब छह प्रखण्डों के दर्जनों गाँवों की समस्याओं को लोगों तक

पहुँचा रहा है। इसमें प्रसारित होने वाली ख़बरें मुख्यत: किसानों के मुद्दों, गाँव की समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों, गरीबी, कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी, आदि मुद्दों पर सटीक जानकारी देती हैं। इन ख़बरों को देखने वाले गाँव के ही किसान, दुकानदार, मज़दूर, पंचायत के सदस्य, शिक्षक, छात्र-छात्राएँ एवं आस-पड़ोस की ग्रामीण महिलाएँ होती हैं। यह प्रसारण नि:शुल्क एवं अपने खर्चे पर किया जाता है।

चर्चा करें

1. संचार के वैकल्पिक माध्यमों में हस्तलिखित अख़बार, सामुदायिक रेडियो, लघु पत्रिका इत्यादि का चलन बढ़ा है। शिक्षक की मदद से चर्चा करें।
2. कुछ अख़बारों को पढ़ कर समझाएँ कि आपके इलाके के बारे में छपी ख़बरों में किन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है?
3. आपके विचार से क्या कुछ बातों पर मीडिया का कम ध्यान है?

?

इस पाठ में हमने समझने का प्रयास किया कि – मीडिया क्या है? उसके द्वारा जागरूकता कैसे फैल सकती है और उसके ख़तरे क्या हैं? ख़बरों को कैसे समझें एवं मीडिया में प्रसारित ख़बरों की आलोचना करते हुए कैसे देखें? किन बातों पर मीडिया का ध्यान नहीं रहता है और इसका क्या कारण है यह भी समझने का प्रयास करें। अगले पाठ में हम मीडिया और विज्ञापन को समझेंगे।

अभ्यास

1. अगर आपको कैमरा दे दिया जाए तो आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे?
2. आपके विद्यालय में होने वाले किसी कार्यक्रम पर एक ख़बर तैयार करें।
3. आपके विचार से संचार का कौन सा माध्यम ज़्यादा लोकप्रिय है? कारण सहित बताएँ।
4. किसी बड़ी घटना की जानकारी आपको किन-किन माध्यमों से हुई। चर्चा करें।
5. सूचना के आधुनिक संचार माध्यमों से क्या फर्क पड़ा?
6. किसी दो प्रमुख समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये शीर्षकों की ख़बर का विवरण तैयार करें और देखें कि उनकी ख़बरों में क्या समानता और भिन्नता है।

अध्याय 7

विज्ञापन की समझ

एक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा होना था। बच्चे बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार कर रहे थे और वे आगे की पंक्ति में बैठने के लिए भागम-भाग कर रहे थे। उसी समय एक शिक्षक ने सूचना दी कि अगली पंक्ति की कुर्सियाँ मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए है। इस कार्यक्रम में समाचार पत्र, रेडियो, टी.वी. आदि से जुड़े हुए व्यक्ति आयेंगे।

तभी एक छात्र ने जिज्ञासावश शिक्षक से पूछा कि क्या इन मीडिया वालों को हमारे विद्यालय-कोष से पैसे दिये जाएँगे? शिक्षक ने बताया कि उन्हें अपनी संस्था से वेतन मिलता है और संस्था ने ही उन्हें यहाँ भेजा है। ये संस्थाएँ चाहे अख़बार हो या टी.वी. चैनल, अपनी आमदनी के लिए 'विज्ञापन' पर निर्भर हैं। इस पाठ में आगे विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

किसी घटना या कार्यक्रम के प्रकाशित या प्रसारित होने के कई चरण होते हैं। इसमें आधुनिक मशीनों के साथ-साथ कुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है। संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचाने में आधुनिक तकनीक से विशेष मदद मिली है। इन आधुनिक संचार माध्यमों के संचालन में अत्यधिक धन की

आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगा पाना संभव नहीं होता। इसी कारण टी.वी., अखबार, रेडियो किसी बड़े व्यावसायिक समूह द्वारा संचालित होते हैं।

संचार माध्यम अपने खर्चों को पूरा करने एवं धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वे विज्ञापनों का सहारा लेते हैं जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। विज्ञापन का क्षेत्र काफी बड़ा बन चुका है। संचार माध्यमों को अपने खर्चे हेतु विज्ञापनों पर निर्भर होना पड़ता है। विज्ञापन देने वाले मुख्यतः व्यापारिक संस्थान होते हैं। अतः संचार माध्यमों को वे अपने फायदे के लिए प्रभावित भी करते हैं।

विज्ञापन क्या है?

आज हम चारों तरफ विज्ञापनों से घिरे हैं। रेडियो, टी.वी., अखबार, इन्टरनेट से लेकर टैक्सी, रिक्शा और दीवारों पर विज्ञापन देखे जा सकते हैं। एक ही विज्ञापन विभिन्न माध्यमों से कई-कई बार हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। वस्तुओं से लेकर शैक्षिक एवं व्यावसायिक

संस्थाओं तक के विज्ञापन बनाये जा रहे हैं, जैसे– कपड़े, कोल्डड्रिंक, दवाएँ, मोटरबाइक, पेंट, साबुन, तेल, आटा, चॉकलेट, बिस्कुट, कलम आदि के साथ-साथ विभिन्न प्राइवेट स्कूलों, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों के विज्ञापन हम अपने चारों तरफ विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। विज्ञापन में कई प्रकार के उत्पादों के गुणों को दिखाकर हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाता है, जिससे वस्तुओं या उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हो सके। विज्ञापन द्वारा उत्पादक कम्पनियाँ अपने बाज़ार का विस्तार करती हैं। इससे उत्पादक को अधिक लाभ मिलता है। इन विज्ञापनों से होने वाली आय द्वारा संचार माध्यम संचालित होते हैं।

क्रियाकलाप

1. विज्ञापन कौन देता है? संचार माध्यम इस पर क्यों निर्भर हैं?
2. आपके पसंदीदा विज्ञापन कौन-कौन से हैं? वे आपको किस तरह आकर्षित करते हैं? शिक्षक के साथ चर्चा करें।

?

ब्रांड

सोनू पेंसिल खरीदने दुकान जाता है और पेंसिल माँगता है। दुकानदार सोनू को एक पेंसिल देता है। सोनू कहता है, ''मुझे स्वराज पेंसिल चाहिए।'' दुकानदार पेंसिल देते वक्त सोनू से पूछता है, ''स्वराज पेंसिल ही क्यों?'' सोनू ने कहा, ''मैंने टी.वी. में देखा है कि इस पेंसिल से लिखावट सुन्दर होती है।'' वह पेंसिल लेकर घर चला जाता है। सोनू के मन में प्रश्न उठता है कि बाज़ार में पेंसिल तो बहुत हैं फिर उनके अलग-अलग नाम क्यों हैं? लिखावट कैसे सुंदर हो सकती है?

'स्वराज', पेंसिल के ब्रांड का नाम है। विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। एक उत्पाद को बाज़ार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ब्रांड का नाम दिया जाता है। एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने की कोशिश की जाती है।

केवल ब्रांड के नाम आपको किसी वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करती। विज्ञापित कंपनी अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता का विश्वास दिलाती है और कई बार तो गुणवत्ता से अधिक के दावे भी करती है। विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और उसे खरीदने

के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका प्रमुख होती है। एक ब्रांड से प्रभावित होकर हम उस ब्रांड की अन्य वस्तुओं को भी खरीदने लगते हैं।

विज्ञापन के सामाजिक मूल्य

विज्ञापन हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, वरन् ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में एक अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। आगे दो विभिन्न उत्पादों के द्वारा इसे और अधिक समझने का प्रयास करेंगे।

सत्तू के इस विज्ञापन में हमारी सेहत और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बन्द पैकेट वाले सत्तू के तुलना में खुले सत्तू के खराब होने की आशंका को दर्शाया गया है। दरअसल हमारे आसपास के बाज़ार में उपलब्ध खुले सत्तू और बंद पैकेट वाले सत्तू की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है। परन्तु विज्ञापन में पैकेट बंद सत्तू सुरक्षित और अन्य सत्तू से बेहतर होने का दावा करता है। प्रायः यह बंद पैकेट वाले सत्तू आसपास के किराना दुकानों से लेकर बड़े-बड़े मॉल में आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस विज्ञापन में सेहत के प्रति हमारी चिंता को आधार बनाया गया है।

पूँजी के अभाव के कारण खुले सत्तू के विक्रेता अपना विज्ञापन नहीं कर पाते और विज्ञापित बंद पैकेट वाले सत्तू से उनकी प्रतियोगिता बढ़ जाती है। अंततः उनकी बिक्री भी प्रभावित होती है और वे व्यवसाय छोड़ने को मज़बूर होने लगते हैं।

वधू चाहिए

कायस्थ लड़का NTPC Engr. M. Tech. 32/5'B' स्मार्ट पिता Rtd. Engr. गोरी, सुंदर सूयोग्य वधू चाहिए। शीघ्र विवाह

हमारे समाज में गोरा, आकर्षक एवं दूसरों से अलग दिखने की होड़ है। इसे सुन्दरता से जोड़ा जाता है। लड़कियों में गोरा एवं आकर्षक होना विवाह के लिए आवश्यक तत्व के रूप में देखा जाता है।

विज्ञापन हमारी इसी भावना का गलत इस्तेमाल करता है। विज्ञापन न केवल हमारे गोरे होने की चाहत को बढ़ावा देता है बल्कि यह आश्वासन भी देता है कि गोरा होकर हम सबकुछ पा सकते हैं। जबकि, गोरा या काला होने का इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारी त्वचा में ''मिलेनिन'' नाम का पदार्थ होता है जिनसे हमारी त्वचा का रंग तय होता है।

'मिलेनिन' हमें सूरज की नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जिनकी त्वचा में मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती हैं,वे साँवले दिखते हैं और जिनमें कम,वे गोरे दिखते हैं। कोई भी क्रीम मिलेनिन की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। गोरा करने वाली क्रीमों में एक ऐसा रसायन होता है जिससे चेहरे के बाल सुनहरे हो जाते हैं और चेहरे का रंग कुछ दिनों के लिए साफ दिखता है। ये रसायन त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते। तब आप ही सोचें कि गोरेपन बढ़ाने वाली क्रीम सच बोल रही है या हमें बेफकूफ बना रही है? सबसे बड़ी बात तो ये पहचानना है कि हम सब के रंग-रूप में कोई न कोई फर्क होता है।

चर्चा करें

प्रश्न– गोरेपन या सांवलेपन से सुन्दरता को आँकना क्या तुम्हें सही लगता है? **?**

विज्ञापन कैसे बनता है?

इस चर्चा के बाद क्रीम बनाने वाली कंपनी ने विज्ञापन तैयार करने के लिए एक अन्य कंपनी को काम सौंप दिया। उन्होंने यह सब बातें समझकर गीत तैयार किया, एक छोटी फिल्म बनाई और पोस्टर भी तैयार किया। फिर कुछ लोगों को दिखाकर उनकी प्रतिक्रिया ली गई और उसमें सुधार किया गया। इसके बाद ही टी0वी0, पोस्टर, रेडियो पर यह विज्ञापन दिया गया और बाजार में यह बिकने लगी।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोकहित में कुछ विज्ञापन दिए जाते हैं।

चर्चा करें

इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अन्तर है?

विज्ञापन एवं लोकतंत्र

विज्ञापन में बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। छोटे व्यापारी के साथ स्थानीय उत्पाद इससे प्रभावित होते हैं। पर यह जरूरी नहीं कि पैकेट वाली ब्रांडेड वस्तुएँ स्थानीय वस्तुओं से अच्छी ही हों। विज्ञापन से कई बार गरीब लोगों के आत्म सम्मान को ठेस पहुँचती है। जो विज्ञापित वस्तुएँ नहीं खरीद पाते हैं वे हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। विज्ञापन धनी एवं प्रसिद्ध लोगों पर ध्यान केन्द्रित करता है और गरीबी, भेदभाव व आत्मसम्मान के बारे में हमारे विचारों को प्रभावित करता है। लोकतंत्र में समानता का मूल्य प्रधान होता है। विज्ञापनों से पड़ने वाले प्रभावों पर सजग रहना जरूरी है।

अभ्यास

1. विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं?
2. पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में से आप किसे खरीदना पसन्द करते हैं? क्यों?
3. विज्ञापन को बार-बार प्रसारित क्यों किया जाता है?
4. आप विज्ञापन से प्रेरित होकर कौन सी वस्तुएँ ख़रीदे हैं? पाँच वस्तुओं के बारे में लिखें।
5. विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर-विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक क्यों होती है?
6. इनमें से कौन से विज्ञापन सार्वजनिक हैं और कौन से व्यावसायिक? नीचे दी गयी तालिका में भरें। फिर अपने अनुभव के आधार पर कुछ और उदाहरण जोड़े।

   कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन

   पल्स पोलियो का विज्ञापन

   मोबाइल का विज्ञापन

   असुरक्षित रेलवे क्रासिंग को पार करने का विज्ञापन

व्यावसायिक विज्ञापन	सार्वजनिक विज्ञापन
1.	1.
2.	2.
3.	3.

अध्याय 8

हमारे आस-पास के बाज़ार

पहेली बूझो

1. वे घर-घर जाते हैं
   आवाज़ें भी खूब लगाते हैं
   ले लो, ले लो, कुछ तो ले लो
   कौन हैं वो, तुम जल्दी बोलो।

2. एक जगह पर रहती हूँ
   चीजें बहुत सी रखती हूँ
   पैसे दे दो, चीज़ें ले लो
   कौन हूँ मैं, यह तो बोलो।

3. दोपहर को मैं आती हूँ
   शाम चली जाती हूँ
   मिल सको तो मिल लो आज
   नहीं तो मिलेंगे सात दिन बाद।

क्या तुम इन पहेलियों को हल कर पाए?

जब हमलोग आस-पास की जगहों पर नज़र दौड़ाते हैं तो बाज़ार दिखता है। बाज़ार में दुकानें दिखाई पड़ती हैं। इन दुकानों में तरह-तरह के सामान होते हैं, जैसे कि कपड़ा, चावल, लिट्टी-चोखा, चाट-पकौड़ा, भुंजा, सब्ज़ी, साबुन, मंजन, मसाला, कॉपी, किताब, अख़बार, टी. वी., मोबाइल आदि रहता है। यदि हमलोग बाज़ार में मिलने वाले सामानों की सूची बनाएँ तो यह सूची बहुत बड़ी होगी।

हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाज़ार जाते हैं। बाज़ार के कई रूप हैं। हम सामानों के लिए नज़दीक की दुकान, साप्ताहिक बाज़ार, बड़ी दुकान तथा शॉपिंग कॉम्पलेक्स में भी जाते हैं।

इस पाठ में बाज़ार को जानने का प्रयास करेंगे। बाज़ार किस-किस तरह के होते हैं? वस्तुएँ कैसे ख़रीदी एवं बेची जाती हैं? ख़रीददार तथा बेचनेवाले कौन हैं ? इनकी समस्याएँ कैसी हैं?

गाँव की दुकान

एक छोटे से गाँव जलहरा में रामजी का परिवार खेती के साथ-साथ दुकान भी चलाता है। वह खैनी, माचिस, नमक, गुड़, चाय, चीनी, टॉफियाँ, तेल आदि किराने का सामान बेचता है। गाँव में ऐसी तीन-चार दुकानें हैं।

एक दिन सुबह रामजी की दुकान खुलते ही एक लड़की आई और बोली, ''मुझे दो रुपये की चाय दे दो''। फिर दो लोग आए और उन्होंने बीड़ी और माचिस ख़रीदी। कुछ देर बाद एक लड़का आया और पैसा बाद में देने की बात कहकर एक पाव तेल उधार ले गया। रामजी गाँव के सभी लोगों को पहचानता है। इसलिए बहुत से लोगों को वह सामान उधार भी देता है। एक वृद्ध महिला चावल देकर चीनी ले गई। रामजी के दुकान में सामान के बदले सामान भी मिलता है। अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए यहाँ के लोग रामजी की दुकान पर निर्भर हैं। कोई चीज़ की कभी अचानक ज़रूरत पड़ी तो वे रामजी की दुकान से ले लेते हैं।

चर्चा करें

1. रामजी की दुकान से लोग किन-किन कारणों से सामान ख़रीदते हैं?
2. किराने के सामान के लिए जलहरा के कुछ लोग ही रामजी की दुकान पर बार-बार आते हैं। ऐसा क्यों ?
3. बहुत कम मात्रा में सामान ख़रीदने पर महँगा मिलता है। उदाहरण देते हुए अपना मत रखिए।

?

बड़े गाँव का बाज़ार

क्या जलहरा के लोगों के पास सामान ख़रीदने के लिए यही एक जगह है? क्या आस-पास कोई बाज़ार नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा। जलहरा के आस-पास कई गाँव हैं जहाँ रामजी की दुकान जैसी कई दुकानें है।

पास में एक बड़ा गाँव तियरा है। यहाँ लगभग 500 घर हैं। तियरा गाँव में बाज़ार है। यहाँ 15-20 दुकानें हैं जिसमें 7-8 किराने की दुकानें हैं। इसके अलावा कपड़े, साइकिल मरम्मत, मिठाई, सब्ज़ी–फल, चाय-नाश्ता तथा दूध की दुकानें हैं। ठेलों पर भूंजा, छोले, गोलगप्पा आदि मिलते हैं। इस बाज़ार में सामान खरीदने कौन आता है? तियरा के अलावा आस-पास के गाँवों के लोग आते हैं। इस बाज़ार में सामान की अच्छी बिक्री होती है। यहाँ भी दुकानदार कई लोगों को सामान उधार देते हैं।

क्रियाकलाप

1. जलहरा की दुकान और तियरा के बाज़ार में क्या अंतर है ?
2. आस-पास के गाँवों के लोग किन कारणों से तियरा के बाज़ार आते हैं?
3. उधार लेना कभी तो मज़बूरी है, तो कभी सुविधा'। उदाहरण देकर समझाएँ।

?

साप्ताहिक बाज़ार या हाट

साप्ताहिक बाज़ार सप्ताह के एक निश्चित दिन और जगह पर लगने वाला बाज़ार है। दुकानदार वहाँ दोपहर को दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। अगले दिन वह अपनी दुकान किसी दूसरे साप्ताहिक बाज़ार में लगाते हैं। ऐसे बाज़ारों में लोग रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने आते हैं।

साप्ताहिक बाज़ार में अधिकांश दुकानदार अपने परिवार वालों की मदद से काम करते हैं। साप्ताहिक बाज़ार में एक जैसे सामान बेचनेवालों की कई दुकानें होती हैं। इसलिए उन्हें आपस में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कोई भी अपना सामान साप्ताहिक हाट में बेच सकता है। इस कारण हाट में बहुत-सी दुकानें लगती हैं।

यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु का अधिक दाम बोलता है, तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों से सामान ख़रीद लें। ख़रीददार के पास यह मौक़ा भी है कि वह सामान का मोल-भाव करके कीमत कम करवा सके। साप्ताहिक बाज़ार की विशेषता होती है कि यहाँ ज़्यादातर वस्तुएँ सस्ती एवं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। अलग-अलग सामानों के लिए अलग स्थानों पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। स्थानीय लोगों को आस-पास के गाँवों के लोगों से भी मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

क्रियाकलाप

1. लोग साप्ताहिक बाज़ार क्यों आना पसन्द करते हैं ?
2. साप्ताहिक बाज़ार में वस्तुएँ सस्ती क्यों होती हैं ?
3. मोल-भाव कैसे और क्यों किया जाता है ? अपने अनुभव के आधार पर टोलियाँ बनाकर नाटक करें।
4. साप्ताहिक बाज़ार में जाने का अनुभव लिखें।

शहर में मोहल्ले की दुकान

एक दिन जूही एवं पूरन अपने घर के पास की किराना दुकान से सामान ख़रीदने पहुँचे। वे लोग अक्सर ख़रीददारी के लिए यहीं आते हैं। दुकान में बहुत से ग्राहक पहले से ही सामान ख़रीद रहे थे। दुकानदार दो सहायकों एवं अपनी दो बेटियों की सहायता से दुकान चला रहा था। जब पूरन और जूही दुकान के अन्दर पहुँचे तो पूरन ने दुकान मालिक को सामानों की सूची लिखवा दी। दुकानदार सूची के अनुसार सहायकों को निर्देश देने लगा। जूही दुकान में रखे हुए वस्तुओं को देख रही थी। दुकान में अलग-अलग ब्रांड के साबुन, दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, केश तेल, आदि रखे थे। अलग-अलग ब्रांड और रंगों के आकर्षक सामान जूही के मन को लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े थे। सभी सामानों को तौलने और बाँधने में लगभग 30 मिनट लग गए। तब पूरन ने अपनी डायरी दुकानदार को दी। दुकानदार ने डायरी में सामानों का कुल मूल्य लिखकर वापस कर दिया। उसने अपने पीले वाले रजिस्टर में यही मूल्य लिखा। पूरन और जूही अपना झोला लेकर बाहर निकले। दुकानदार का पैसा माता-पिता के वेतन मिलने पर महीने के प्रथम सप्ताह में चुका दिया जाएगा।

शहर के मोहल्ले में ऐसी बहुत सी दुकानें होती हैं, जो कई तरह की सेवाएँ और सामान उपलब्ध कराती हैं। इन दुकानों पर दूध, फल, सब्ज़ी, तेल, मसाले, खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, दवा इत्यादि वस्तुएँ मिलती हैं। ये दुकानें पक्की, स्थायी एवं प्रतिदिन खुलने वाली होती है। कुछ छोटे दुकानदार जैसे फलवाले, गाड़ी मैकेनिक, बिजली मिस्त्री, दर्जी की दुकान वगैरह फुटपाथ पर भी होते हैं।

क्रियाकलाप

1. आपके घर के आस-पास या कोई शहर के मोहल्ले की दुकानों का विवरण लिखें।
2. साप्ताहिक बाज़ार और इन दुकानों में क्या अन्तर है ?
3. पूरन और जूही उस दुकान से ही सामान क्यों ख़रीदते हैं ?

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल

सुपर मॉल एक सात मंज़िला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। विकास और रंजीता इसमें एस्केलेटर (बिजली से चलने वाली सीढ़ी) से ऊपर जाने और नीचे आने का आनन्द ले रहे थे। विकास एवं रंजीता को यहाँ एक साथ आइस्क्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने के प्रसिद्ध रेस्टोरेन्ट, घरेलू उपयोग के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान, किराना वस्तुएँ, चमड़े के जूते, किताबें इत्यादि के साथ ही मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर और ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों को देखना अलग अनुभव प्रदान कर रहा था।

मॉल के चौथे तल पर घूमते हुए वे दोनो ब्रांडेड आभूषणों, कपड़ों, जूतों को देखते हुए आगे बढ़ गए। एक तल पर सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें इस प्रकार देखा जैसे वह इन्हें रोकना

चाहता हो, या कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहां । विकास एवं रंजीता ने कुछ वस्तुओं पर लगी पर्चियों को देखा, ये ब्रांडेड होने के कारण काफी महँगी थीं। उनकी कीमत अन्य बाज़ारों की तुलना में कई गुणा ज़्यादा थी। रंजीता ने विकास से कहा, ''मैं तुम्हें स्थानीय बाज़ार से अच्छे किस्म का कपड़ा उचित दाम में दिला दूँगी।''

मॉल में आपको बड़ी-बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है। कुछ दुकानों में बिना ब्रांड का भी सामान रहता है। मीडिया एवं विज्ञापन में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान वह सामान है जिसे कंपनियाँ, बड़े-बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं। ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिए कंपनियाँ, अपने विशेष शोरूम में रखती हैं। बिना ब्रांड वाले उत्पादों की तुलना में ब्रांडेड सामान की कीमत अधिक होती है।

क्रियाकलाप

1. कॉम्प्लेक्स या मॉल में लोग मोल-भाव नहीं करते है, क्यों ?
2. मॉल के दुकानदार और मोहल्ले के दुकानदार में क्या क्या अंतर है ?
3. ब्रांडेड सामान किन कारणों से महँगा होता है?
4. दुकान या बाज़ार एक सार्वजनिक जगह है। शिक्षक के साथ चर्चा करें।

?

थोक बाज़ार

जो लोग वस्तुओं के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। थोक व्यापारी अधिक मात्रा में वस्तुओं को ख़रीदता है। ये वस्तुओं को वे अपने से

छोटी पूँजी वाले व्यापारी को बेच देता है। यहाँ ख़रीददार एवं बेचनेवाला दोनों व्यापारी ही होते हैं। इस प्रकार इसमें बाज़ार की कई कड़ियाँ जुड़ जाती हैं और सामान दूर-दूर तक पहुँचता। अन्त में ग्राहक को जो व्यापारी सामान बेचता है वह खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वह दुकानदार है, जो छोटे गाँव की दुकान, बड़े गाँव के बाज़ार, साप्ताहिक बाज़ार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वस्तुओं को बेचता है। प्रत्येक शहर में थोक बाज़ार होता है। सामान सबसे पहले थोक बाज़ार में आता है, फिर अन्य खुदरा बिक्री करने वाली छोटी-बड़ी दुकानों तक पहुँचता है। इस प्रक्रिया को हम शहर के बड़े थोक व्यापारी जगनारायण के उदाहरण से समझेंगे।

जगनारायण—एक मसाला व्यापारी

जगनारायण पटना सिटी के मारूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी है। वह अपनी दुकान 10 बजे सुबह शुरू करता है। आस-पास और दूरदराज से व्यापारी यहाँ ख़रीददारी के लिए आते हैं। उसके यहाँ स्थानीय एवं राज्य के विभिन्न ज़िलों के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी मसाला थोक के हिसाब से आता है। हल्दी बिहार के विभिन्न ज़िलों से, जीरा अन्य राज्यों से, काली मिर्च और गरम मसाले दक्षिण भारत से आते हैं। सामान ट्रकों, मेटाडोर आदि से उसके गोदाम में पहुँचता है। वह अपना सामान छोटे व्यापारियों और फुटकर दुकानदारों को बेचता है।

बाज़ार ही बाज़ार

गाँव से लेकर शहर तक हमने अलग-अलग बाज़ारों को देखा। वहाँ पर ख़रीद बिक्री की वस्तुओं, ख़रीददारों, दुकानदारों को भी समझा। एक तरफ गाँव में वस्तु के बदले वस्तु (वस्तु विनिमय प्रणाली) से ख़रीददारी तो दूसरी तरफ शहरों में फोन तथा इन्टरनेट के माध्यम से भी ख़रीद बिक्री होती है।

ऐसे कई बाज़ार भी हैं जिससे हम सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते हैं। हमें इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं रहती। उदाहरण के लिए यदि हम मोटर साइकिल को लें तो हम इसे सम्पूर्ण रूप से तैयार ख़रीदते हैं। लेकिन, वास्तव में इसका इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकी, एक्सेल, पहिए आदि सामान कम्पनी कई अन्य कारखानों से ख़रीदती है। यहाँ व्यापारी या कारखानों के बीच ख़रीदने-बेचने का काम चलता रहता है। ग्राहक के सामने वस्तुएँ तभी आती हैं जब ये पूरी तरह बन जाती हैं।

बाज़ार और समानता

इस पाठ में हमने आस-पास के बाज़ारों को देखा। बाज़ार सामानों के उत्पादन और बेचने का अवसर देता है। गाँव की छोटी दुकान, साप्ताहिक बाज़ार, मोहल्ले की दुकान से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और व्यापारियों के साथ ही ख़रीददारों को भी देखा। इन दुकानों एवं दुकानदारों में बड़ा अन्तर है। एक बहुत ही छोटी पूँजी वाला बड़ी पूँजी वाले के साथ बाज़ार में व्यवसाय कर रहा है। इनके लाभ का स्तर भी भिन्न होता है। साप्ताहिक बाज़ार का व्यापारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार की तुलना में बहुत कम लाभ कमाते हैं। बाज़ार के

विभिन्न रूप देखने पर आपने समझा कि बाज़ार में सबको बराबर लाभ नहीं मिलता। ख़रीददार भी लगभग इसी स्थिति में होता है। एक तरफ जहाँ कुछ लोग ख़रीददारी में जरूरत से भी कम चीज़ें ख़रीद पाते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग मॉल में बेहिचक ख़रीददारी करते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति ही क्रयशक्ति को तय करती है।

अभ्यास

1. पाठ एवं अपने अनुभव के आधार पर इन दुकानों की तुलना करें। निम्नांकित खाली जगहों को भरें।

बाजार	क्या सामान मिलता है	कीमत	दुकानदार	ख़रीददार
गाँव की दुकान				
हाट				
शहर की दुकान				
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स				

2. बाज़ार क्या है ? यह कितने प्रकार का होता है?
3. ग्राहक सभी बाज़ारों में समान रूप से खरीददारी क्यों नहीं कर पाते?
4. बाज़ार में कई छोटे दुकानदार से बातचीत करके उनके काम और आर्थिक स्थिति के बारे में लिखें।
5. बाज़ार को समझने के लिए अपने माता-पिता के साथ आपके आस-पास के बाज़ारों का परिभ्रमण करके संक्षिप्त लेख लिखिए ।

6. आप भी बाज़ार जाते होंगे। अपने अनुभव के आधर पर इस तालिका को भरें।

	आपने क्या ख़रीदा?	**कहाँ से ख़रीदा?** (हाट,मोहल्ले की दुकान, से)	**उस दुकान या बाज़ार से क्यों ख़रीदा?** (सुविधा, भाव, विभिन्नता, उधार गुणवत्ता)
1			
2			
3			
4			
5			

7. किसी साप्ताहिक बाज़ार में दुकानें लगाने वालों से बातचीत करके अनुभव लिखें कि उन्होंने यह काम कब और कैसे शुरू किया? पैसों की व्यवस्था कैसे की? कहाँ-कहाँ दुकानें लगाता/लगाती हैं ? सामान कहाँ से ख़रीदता/ख़रीदती है ?

अध्याय 9

बाज़ार श्रृंखला
खरीदने और बेचने की कड़ियाँ

पिछले अध्याय में हमने आसपास के विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के बारे में जाना। इसमें हमने देखा कि बड़े दुकानदार ज़्यादा पूँजी लगाकर छोटे दुकानदार की अपेक्षा अधिक लाभ कमाते हैं। अब हम इस अध्याय में बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में समझेंगे। किस तरह किसानों के उत्पाद स्थानीय आढ़तिया, थोक विक्रेता से होकर बड़े शहरों के खुदरा विक्रेता तक पहुँचते हैं। उत्पादन करनेवाले से होते हुए सामान खरीदने वाले ग्राहकों तक आपस की कड़ी किस तरह जुड़ी होती है।

हम देखेंगे कि सभी उत्पाद में किसी न किसी प्रकार की बाज़ार श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला में खरीदने और बेचने की कई कड़ियाँ होती हैं। ये कड़ियाँ कैसे बनती है? क्या इन कड़ियों से जुड़े लोगों को एक समान लाभ होता है? या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? इन बातों को मखाना उपजाने वाले किसानों तथा इसके बाज़ार की श्रृंखला के उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं।

मखाना

यह तालाब में उपजने वाला एक जलीय उत्पाद है। देश में मखाना के कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत हिस्सा बिहार में होता है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल सीतामढी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आदि जिलों में मखाना का उत्पादन होता है।

मखाना का प्रयोग व्रत-त्योहार, पूजा-पाठ, हवन-सामग्री, खाने तथा नाश्ते में किया जाता है। मखाना में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह पोषक तत्वों से भी भरपूर है।

हाबी मौआर गाँव दरभंगा जिला में स्थित है। इस गाँव के आसपास कई छोटे-बड़े तालाब हैं जिसमें मखाना की खेती की जाती है। इसकी खेती प्रायः मछुआरों द्वारा की जाती है। अधिकांश तालाब (लगभग 60 प्रतिशत) सरकारी होते हैं जो मछुआरों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को तीन से सात साल के लिए एक निश्चित लगान पर (लगभग 12000रु. प्रति एकड़ प्रति वर्ष) प्राप्त होते हैं। शेष लगभग 40 प्रतिशत तालाब निजी व्यक्तियों के होते हैं। जिन लोगों के पास अपना तालाब होता है वे भी मखाना की खेती प्रायः खुद नहीं करते हैं। क्योंकि मखाना उत्पादन एवं उसका लावा बनाने में जिस दक्षता तथा कुशलता की आवश्यकता होती है वह एक खास समुदाय के लोगों (मछुआरों) में पायी जाती है। अतः मखाना की खेती प्रायः इसी समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है।

जीवछ सहनी, बुधन माँझी, सुलेमान और सलमा जैसे इस गाँव में कई ऐसे किसान हैं जो अपने परम्परागत एवं अन्य कार्यों के साथ-साथ मखाना की खेती भी करते हैं। मखाना की खेती काफी कठिन तथा अधिक मेहनत की होती है। लेकिन इसकी खेती में पूरे साल नहीं लगना पड़ता है। साल के लगभग चार महीने इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए शेष समय में मखाना की खेती के साथ-साथ किसान अन्य कार्य भी कर सकते हैं।

सलमा एक छोटी किसान है। इसके पास अपना तालाब नहीं है। इसलिए सलमा ने पिछले साल की तरह इस साल भी मखाना की खेती के लिए गाँव के राज किशोर के 15 कट्ठे के तालाब को14000 रू. सालाना की दर से किराये पर लिया था। सहकारी समितियाँ छोटे मछुआरों को छोटे तालाब नहीं देतीं। इन्हें बड़े तालाबों का हिस्सा ही लेना होता है, जिसके लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। सलमा इतनी सक्षम नहीं है कि वह सहकारी नहीं है कि वह सहकारी समितियों से बड़े तालाब लेकर मखाना की खेती कर सके।

15 कट्ठे के तालाब में मखाना की खेती करने के लिए आवश्यक रुपयों के इंतज़ाम के लिए भी उसे अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ा। यदि अपना तालाब होता तो वह बैंक से कर्ज़ लेने की कोशिश करती।

पिछले साल भीषण बाढ़ आने के कारण तालाब से मखाना के बीज बह गए थे। तालाब में आवश्यक मात्रा में बीज नहीं होने के कारण मखाना का उत्पादन काफी कम हुआ था। इस बार बाढ़ नहीं आने के कारण मखाना के अच्छे उत्पादन की संभावना थी। सलमा ने मखाना उपजाने में काफी मेहनत की। उसने समय पर खाद, कीटनाशक तथा पानी का उचित इन्तज़ाम किया था।

1. सलमा को सहकारी समिति से तालाब क्यों नही मिला?
2. सलमा सहकारी समिति से तालाब लेती तो क्या फर्क पड़ता?
3. सलमा को इस बार अच्छे फसल की उम्मीद क्यों थी?
4. सलमा ने मखाने की फसल के लिए क्या क्या तैयारी की?

गुड़ी से मखाना बनाने तक

गुड़ी-मखाना के कच्चे फल को गुड़ी कहते हैं। इन गुड़ियों से विशेष प्रक्रिया द्वारा मखाना का लावा प्राप्त होता है।

मखाना की फसल तैयार होने के बाद उसकी गुड़िया तालाब के नीचे बैठ जाती है। तालाब से इन गुड़ियों को निकालने के लिए एक साथ कई लोगों की आवश्यकता होती है। ये लोग तालाब से गुड़ियों को निकालने में कुशल होते हैं। ये तालाब में पानी के अंदर जा कर जमीन से गुड़ियों को इकट्ठा कर बाहर निकालते हैं। यह काफी कठिन काम होता है।

तालाब से गुड़ियों को तीन बार में निकाला जाता है। प्रथम बार में मजदूर अधिक गुड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी और तीसरी बार में तालाब में गुड़ियों की संख्या कम हो जाने के कारण मज़दूरों को गुड़ियों को निकालने में अपेक्षाकृत अधिक श्रम करना पड़ता है। सलमा को प्रथम बार में कुल 300 किलो गुड़ी प्राप्त हुआ, दूसरी बार 200 किलो और तीसरी बार 100 किलो ही प्राप्त हुआ ।

इस प्रकार सलमा को तालाब से कुल 600 किलो गुड़ियाँ प्राप्त हुई तथा इन्हें निकालने के बदले में 12000 रुपये मज़दूरी देनी पड़ी। गुड़ी निकालने में पारंगत एक मज़दूर दिनभर में 300 से 400 रुपये कमा लेता है। लेकिन यह काम साल में कुछ ही दिनों के लिए मिलता है।

सलमा तालाब से प्राप्त 600 किलो गुड़ियों को लेकर पास के आशापुर कस्बे में गई। यहाँ कई लोग गुड़ियों से लावा बनाने का काम करते हैं। इस काम के लिए भी विशिष्ट कुशलता एवं मेहनत की आवश्यकता होती है।

गुड़ियों को कड़ाही में बालू डालकर भूना जाता है। काफी गर्म होने पर इन गुड़ियों को कड़ाही से निकालकर पीढ़े पर रखकर लकड़ी के हथौड़े से जोर से पीटा जाता है।फलस्वरूप गुड़ियों से लावा निकल आता है जिसे हम मखाना के नाम से जानते हैं।

2.5 किलो गुड़ी से एक किलो मखाना का लावा प्राप्त होता है। लेकिन लावा बनाने वाले लोग 3 किलो गुड़ी के बदले 1 किलो लावा देते हैं। अर्थात् 2.5 किलो गुड़ी का लावा बनाने की मज़दूरी आधा किलो गुड़ी होती है।

चार-पाँच लोग मिलकर एक दिन में 150 से 200 किलो गुड़ी का लावा बना लेते हैं। इससे प्रत्येक को गुड़ी के रूप में लगभग 400 रुपये की आमदनी हो जाती है।

1. तालाब से गुड़ी निकालने का काम कौन करता है ?
2. गुड़ी से मखाना कैसे बनाया जाता है? अपने शब्दों में समझाएँ।
3. मखाने बनाने तक सलमा ने किन किन चीज़ो पर कितने रूपयें खर्च किये सूची बनाओं ।

?

स्थानीय आढ़तिया को मखाना बेचा

सलमा को अपने गुड़ियों से कुल 200 कि.ग्रा. मखाना प्राप्त हुआ। मखाना काफी हल्का होता है। एक बड़े बोरे में लगभग 8 से 10 किलो ही मखाना आता है। सलमा का 200 किलो मखाना 20 बोरों में आया। अब वह इन 20 बोरे मखानों को मूल्य बढ़ने पर बेचने के लिए घर लाकर नहीं रख सकती थी। क्योंकि एक तो उसके पास जगह की कमी थी दूसरी उसे रिश्तेदारों का कर्ज़ भी लौटाना था। राज किशोर को तालाब का किराया भी देना था। इसलिए उसने मखानें को वहीं स्थानीय आढ़तिया शंभू को बेच दिया। शंभू आशापुर का बड़ा आढ़तिया है। उसने सलमा को

200 किलो मखाना के लिए 300 रु0 प्रति किलो की दर से 60,000 रु0 दिए। उसने बताया कि इस बार मखाना का उत्पादन अधिक होने के कारण मखाना का मूल्य नहीं बढ़ा है।

परन्तु इतने कम रूपये पाकर सलमा उदास हो गयी। उसे मखाना की खेती में खाद, बीज, कीटनाशक, गुड़ी निकलाई तथा तालाब का किराया मिलाकर कुल 35,000 रुपया लागत आया था। उसके पास सिर्फ 25,000 रुपये बच रह थे। यह तो उसका व उसके पति के मेहनत की मज़दूरी भी नहीं थी। इस बार उसे अच्छे लाभ की उम्मीद थी। उसने सुना था कि मखाना का बाज़ार निरन्तर बढ़ रहा है। मखाना आधारित उद्योग में मखाना के विभिन्न प्रकार के कीमती उत्पाद तैयार हो रहे हैं। इसका लाभ उसे भी अवश्य प्राप्त होगा। इससे वह अपने टूटे घर की मरम्मत भी करा लेगी तथा अगले साल बिना कर्ज लिये मखाना की खेती कर लेगी।

आशापुर के ये आढ़तिया ज्यादातर किसानों का मखाना कमीशन पर बेचते हैं। इनके पास पटना तथा दरभंगा के थोक मंडी में मखाना बेचने वाले व्यवसायी आकर मखाना खरीदते हैं। इनसे प्राप्त रुपये में से ये 8 से 10 प्रतिशत कमीशन काटकर शेष पैसा किसानों को दे देते हैं। कई बार कुछ किसानों से ये मखाना खरीद भी लेते हैं तथा अच्छे लाभ पर आगे बेचते हैं। दिन भर में 15 से 20 बोरा मखाना बेचने वाले आढ़तियों की औसत मासिक आमदनी 30,000 से 40,000 रुपये होती है जबकी इसमें इनकी अधिक पूंजी नहीं लगी होती है।

1. सलमा को मखाना बेचने की जल्दी क्यों थी ?
2. सलमा ने जो सोचा था क्या उसे वह पूरा कर सकती है ? चर्चा करें।
3. अपने आस-पास के अनुभवों द्वारा पता करें कि छोटे किसान अपना उत्पाद किन्हें बेचते हैं ? उन्हें किन समस्याओं का सामना पड़ता है।
4. मखाने की खेती करनेवाले किसान अपनी फसल को खुद मंडी में ले जा कर क्यों नहीं बेचते?

?

पटना के बाज़ार

कुछ व्यापारी आशापुर के आढ़तियों से मखाना खरीद कर पटना, दरभंगा या अन्य शहरों के थोक मंडी में बेचते हैं। मनोज ऐसे ही एक व्यवसायी हैं जो दरभंगा से मखाना खरीदकर पटना की थोक मंडी में बेचते हैं। दरभंगा में इन्हें 330 रु0 प्रति किलो की दर से मखाना प्राप्त हो जाता है। पटना लाने के क्रम में परिवहन एवं पैकिंग में 15 से 20 रु0 प्रति किलो खर्च आता है तथा पटना की थोक मंडी में वह 20 रु0 प्रति किलो के लाभ पर मखाना बेच देते हैं।

पटना के थोक विक्रेता भी प्रायः 20 रु0 प्रति किलो का लाभ लेकर खुदरा दुकानदारों को बेच देता है। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करता है। इस कारण वह अधिक कमा लेता है।

मखाना की खेती
गुड़िया निकालना
गुड़ियों से लावा बनाना
स्थानीय आढ़तिया
पटना के थोक विक्रेता
खुदरा दुकानदार
शहरी उपभोक्ता

खुदरा दुकानदार को यह लगभग 380 से 400 रु0 प्रति किलो की दर से उपलब्ध होता है। उसे दुकान तक मखाना लाने में लगभग 10 रु0 प्रति किलो का खर्च आता है। खुदरा व्यवसायी ग्राहकों को 40 से 60 रु0 प्रति किलो के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार शहरी उपभोक्ता को 460 से 500 रु0 प्रति किलो मखाना प्राप्त होता है।

उक्त कड़ियों में हमलोग देखते हैं कि सबसे अधिक मेहनत के बावजूद किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है।

1. थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में क्या अंतर है ?
2. थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में कौन अधिक लाभ कमाता है और क्यों?

पटना के ग्राहकों तक पहुँचने में मखाने को किन-किन कड़ियों से गुज़रना पड़ता है। निम्न रेखाचित्र देखकर समझें।

1. आप के घर पर उपयोग की जानेवाली किन्हीं दो वस्तुओं के बारे में पता करें कि वे किन कड़ियों से गुज़र कर आप के पास पहुँचती है।

देश-विदेश के बाज़ार

कुछ थोक व्यवसायी दिल्ली जैसे शहरों के थोक व्यवसायियों को सीधे मखाना बेचते हैं। दरभंगा या पटना से दिल्ली मखाना भेजने में प्रति किलो 30से40 रु0 का खर्च आता है। इस प्रकार वहाँ के थोक व्यापारी को 430 से 460 प्रति किलो की दर से मखाना प्राप्त होता है। दिल्ली जैसे शहरों के खुदरा दुकानों में यह 500 से 600 रु0 प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। कई बड़े एवं आधुनिक दुकानों में मखाना अलग–अलग वजन के पैकेटों में 600 से 800 रु0 प्रति किलो की दर से बिकता है। यहाँ बिकने वाले मखाना काफी अच्छे किस्म के होते हैं।

1. क्या इस बेहतर भाव का लाभ उत्पादक को प्राप्त हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे ?

दिल्ली के कुछ व्यापारी इन मखानों को खाड़ी देशों में निर्यात करते हैं। ईद के अवसर पर मखाना तथा इससे बने सेवई, खीर, खाड़ी देशों में निरन्तर लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उसी प्रकार त्योहारों के अलावा मखाने को नाश्ते में उपयोग किया जाता है।

बाज़ार और समानता

बाज़ारों में यह शृंखला मखाना उत्पादक को बड़े आधुनिक दुकानों के खरीददार से जोड़ देती है। इसकी प्रत्येक कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। बड़े एवं आधुनिक दुकानों, सुपर मार्केट तथा मॉल के दुकानदार ने अपनी संरचना तथा बेचने के आकर्षक तरीकों के बल पर अधिक लाभ कमाया। उनकी तुलना में थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं का लाभ बीच का रहा।

इसमें हमने देखा कि मखाना उपजाने **वाले छोटे** किसान एवं लावा बनाने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों को कड़ी मेहनत के बावजूद उचित लाभ या पारिश्रमिक नहीं मिला। बाज़ार में उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अन्य व्यापारियों की स्थिति बीच की है। उत्पादकों की तुलना में उन्हें अधिक कमाई हुई है। लेकिन बड़े आधुनिक दुकानों के दुकानदारों की तुलना में इनकी कमाई कम है।

इस तरह बाज़ार में सभी लोग बराबर नहीं कमाते हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत सबको बाज़ार में उचित मज़दूरी या कमाई करने के मौके मिलने चाहिए। अगर मज़दूरी उचित नहीं मिलेगी तो किसान एवं अन्य मेहनतकश अपने आपको दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे?

एक ओर बाज़ार, लोगों को काम करने का, उन चीजों को बनाने एवं बेचने का अवसर देता है, जिसे वे उपजाते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपनी प्रसंस्करण इकाइयां हैं, बड़े-बड़े गोदाम, दुकान एवं अन्य आर्थिक संरचनाएँ हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है और इन निर्भरताओं के कारण बाजार में उनका शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के रास्ते तलाश कर हमें उन रास्तों पर चलना होगा।

अभ्यास

1. क्या सलमा को अपने मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्राप्त हुआ? यदि नही तो क्यों?
2. आर्थिक रूप से सम्पन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपने फसल को कहाँ बेचेंगे?
3. मखाना उत्पादक किसान एवं उनसे जुड़े मजदूरों के काम के हालात और उन्हे प्राप्त होने वाले लाभ या मजदूरी का वर्णन करें? क्या आप सोचते है कि उनके साथ न्याय होता है?
4. चाय में चीनी ,दूध तथा चाय पत्ती का प्रयोग होता है। आपस में चर्चा करें कि ये वस्तुएँ बाजार की किस श्रृंखला से होते हुए आप तक पहुँचती है? क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इन वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार में मदद की होगी?

5. यहाँ दिये गये कथनों को सही क्रम में सजाएं और फिर नीचे बने गोलों में सही क्रम के अंक भर दें। प्रथम दो गोलों में आप के लिए पहले से ही अंक भर दिये गये हैं।

1– सलमा मखाना उपजाती है।

2– स्थानीय आढ़तिया पटना के थोक व्यापारी को बेचता है।

3– आशापुर में मखाना का लावा बनवाने लाती है।

4– खाड़ी देशों को निर्यात करते हैं।

5– दिल्ली के व्यापारियों को बेचते हैं।

6– मजदूर गुड़ियों को इकट्ठा करते हैं।

7– सलमा आशापुर के आढ़तियों को मखाना बेचती है।

8– सलमा को तालाब से कुल 600 किलो गुड़ियाँ प्राप्त हुई ।

9–खुदरा व्यापारी को बेचते हैं।

10–उपभोक्ता को प्राप्त होता है।

अध्याय 10

चलें मण्डी घूमने

आठ बजते-बजते हम सब स्कूल गेट के पास इकट्ठे हो गये थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। हमारे शिक्षक हम लोगों को घुमाने के लिए पटना सिटी के मारूफगंज अनाज एवं मसाला मण्डी ले जा रहे थे।

मण्डी पहुँचते ही हमने देखा कि यहाँ तो चारों तरफ ट्रक, माल ढोने वाले टेम्पो और सामान ढोने वाले ठेले नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम अनाज मण्डी नहीं बल्कि ट्रक व टेम्पो स्टैण्ड में आ गए हैं। मण्डी में हमने देखा कि कई बड़े-बड़े गोदाम एवं दुकानें थी। कुछ खाने के होटल एवं बोरे-थैले की दुकानें भी थीं।

मण्डी का एक व्यापारी सुलेमान जी हमारे शिक्षक के परिचित थे।

वे हम सभी को मण्डी की एक खास गली में ले गये। वहाँ हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक से भरी हुई बोरियाँ उतारी जा रही हैं। सुलेमान जी ने बताया कि इस गली में केवल चावल एवं गेहूँ की थोक दुकानें हैं। ट्रक से चावल की बोरियाँ उतारी जा रही हैं। फिर उन्होंने ट्रक चालक से पूछकर बताया कि ये चावल रोहतास ज़िले के चावल मिल से आया है। इसके अलावा इस मण्डी में भागलपुर, चम्पारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर, औरंगाबाद, गया तथा पटना एवं आसपास से भी चावल आते हैं। चावल बिहार का प्रमुख खाद्यान्न है।

छोटे किसान अपने गाँव या अगल-बगल के गाँवों में स्थित छोटी धान कूटने वाली मिलों में चावल बनवाकर अपने पास रख लेते हैं। उसमें से अपने उपभोग के लिए चावल रखकर शेष चावल को चावल खरीदने वाले छोटे व्यापारी को बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को अपेक्षाकृत चावल का कम मूल्य मिलता है लेकिन इससे उन्हें सीधे अपने घर के दरवाज़े पर ही पैसा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ये छोटे व्यापारी चावल को स्थानीय मण्डी के थोक व्यापारी को बेच देते हैं। ये थोक व्यापारी शहर के बड़े थोक व्यापारी को अपना चावल बेच देते हैं।

कुछ किसान अपने धान को सीधे बड़े चावल मिल को बेच देते हैं। शहरों के थोक विक्रेता, मिल से चावल खरीदते हैं एवं शहर के खुदरा व्यापारी को बेचते हैं।

किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार फसल का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों के हितों का संरक्षण करना है।

प्रत्येक किसान को अपनी फसल के लिए कम से कम इस सरकारी दर की उम्मीद होती है। लेकिन बिहार के मौजूदा समय में अधिकांश किसान इससे वंचित रहते हैं। सरकारी एजेन्सियाँ किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती है। लेकिन बिहार में किसानों को इस योजना का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। इससे किसानों का हक मारा जाता है।

1. इस रेखा चित्र के अनुसार बड़े शहर की मंडी तक चावल पहुँचने के क्या-क्या तरीके हैं?
2. थोक बाजार खुदरा बाज़ार में क्या अंतर है ?
3. थोक बाज़ार की जरूरत क्यों होती है? चर्चा करें।
4. छोटे किसान को चावल का कम मूल्य क्यों मिलता है?

?

खेत-खलिहान से मिल तक

इसके पश्चात् सुलेमान चाचा हम लोगों को आगे लेकर चले। यहाँ लगातार गेहूँ की कई थोक दुकानें थी। प्रायः सभी दुकानों में आगे बड़ी-बड़ी तराजू एवं पीछे गोदाम था। इन दुकानों में गेहूँ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आता है। गेहूँ बिहार की दूसरी मुख्य फसल है। चावल की तरह गेहूँ भी किसानों से मण्डी तक पहुँचता हैं। गली के अंत में कुछ दुकानें सूजी, आटा और मैदा की थीं। सुलेमान जी ने बताया कि, तुम्हारे घर के आस-पास जो आटा चक्की होती है वहाँ से यह आटा या मैदा नहीं आया है। इनकी काफी बड़ी-बड़ी मिलें होती हैं। ऐसी मिलें पटना जिले में पटना सिटी, दीदारगंज और दानापुर आदि जगहों पर हैं। ये मिल थोक मंडियों तथा बड़े किसानों से गेहूँ खरीदते हैं। मिल में ये गेहूँ से सूजी, मैदा तथा आटा बनाते हैं। इससे प्राप्त हुआ चोकर भी पशुओं के खाद्य के रूप में अच्छे मूल्य पर बिक जाता है। इससे मिल मालिकों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है।

1. बिहार के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद,, भोजपुर एवं बक्सर ज़िले धान के कटोरे के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ बिहार के कुल चावल उत्पादन के 30 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन होता है इन जिलों में काफी संख्या में चावल मिलें भी है।
2. बिहार में रोहतास, चम्पारण, सीवान, मुजफ्फपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, गया आदि जिलों में गेहूँ की अच्छी खेती होती है।
3. बिहार में पश्चिम चम्पारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक ज़िले हैं।

पीछे दिये गये मानचित्र में दर्शायें
- क. धान उत्पादक क्षेत्र
- ख. गेहूँ उत्पादक क्षेत्र
- ग. सरसों उत्पादक क्षेत्र

इसके बाद सुलेमान जी हम बच्चों को बाज़ार के दूसरे हिस्से में लेकर गए। कुछ ठेलों पर ढेर सारे टीन के खाली कनस्तर लदे हुए थे। सुलेमान जी ने बताया कि ये सरसों तेल के खाली डिब्बे हैं जिन्हें खुदरा व्यवसायी हमारे-तुम्हारे घरों से खरीदकर लाते हैं।अपने यहाँ खाने में अधिकांशतः सरसों तेल का प्रयोग होता है। गाँवों में किसान जो प्रायः अपने उपभोग के लिए सरसों उपजाते हैं वे नज़दीकी पेराई मिल में सरसों ले जाकर पेराई कराकर तेल एवं खल्ली ले आते हैं तथा पेराई का मूल्य दे देते हैं। खल्ली जानवरों के भोजन के रूप में काम आती है। कुछ ऐसे दुकानदार (पेराई मिल वाले) भी होते हैं जो सरसों लेकर एक निश्चित अनुपात में उन्हें तेल दे देते हैं।

बिहार में कुल सरसों उत्पादन की खपत अपने प्रदेश में ही हो जाती है। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति राजस्थान तथा अन्य प्रदेशों से होती है। वहाँ से सरसों तेल विभिन्न प्रकार के पैकिंग के रूप में आते हैं। सुलेमानजी ने कहा, 15 किलोग्राम के पैक इन्हीं कनस्तरों में आते हैं जो आप चित्र में देख रहे हैं। ये खाली कनस्तर पुनः उन्हीं तेल कारखानों या पैकिंग स्थल पर भेज दिये जाते है।

इसके बाद सुलेमान जी हम लोगों को मंडी के उस हिस्से में लेकर गये, जिसमें मक्का/मकई की ख़रीद-बिक्री होती है।

बिहार मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है। बिहार में मक्का बहुत लोगों का आहार भी है। यहाँ लोग मक्के का सत्तू, आटा एवं दर्रा का प्रयोग खाने में करते हैं। सुलेमान जी ने बताया कि मक्का किसानों से स्थानीय छोटे व्यापारी खरीदते हैं। यह व्यापारी इसे मंडी के थोक व्यापारी को बेचते हैं। थोक व्यापारी इन्हें मिलों में बेचते हैं। ये मिल वाले जानवरों एवं मुर्गियों का चारा बनाते हैं। किसान सीधे अगर मंडी में आकर या चारा बनाने वाली मिलों को बेचते तो उन्हें उनके मक्का का अधिक मूल्य मिलता। नियंत्रित मंडी में किसान खुली नीलामी द्वारा अपने उत्पाद बेचते तो उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता लेकिन बिहार में नियंत्रित मंडी की व्यवस्था नहीं के बराबर है। इस कारण किसान अपनी फसल को स्थानीय व्यवसायियों या निजी मिलों को बेचने को बाध्य रहते हैं। किसानों की इस मज़बूरी का फायदा उठाकर ये व्यवसायी उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं देते हैं। प्रायः यह मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम होता है। यदि मंडी तक सभी किसानों की पहुँच हो जाये तो उन्हें अपनी फसल का

पूर्वी बिहार और कोसी इलाके में मक्का की काफी अच्छी खेती हो रही है।
बिहार से करीब 500–600 करोड़ का मक्का प्रतिवर्ष दूसरे राज्यों और देशों को भेजा जा रहा है।

कहाँ और कैसे

कोसी इलाकों से जैसे नवगछिया, मानसी, सिमरी बख्तियारपुर, सेमापुर और गुलाबबाग (पूर्णिया) आदि जगहों से मक्का रेलवे द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड तथा आंध्रप्रदेश को जाता है। दिल्ली, प. बंगाल, उत्तरप्रदेश और झारखण्ड में ट्रकों से मकई भेजा जाता है। कोलकाता होते हुए यह मक्का बंगलादेश को जाता है तथा विशाखापट्टनम् और मुंबई के बंदरगाहों से यह मक्का पानी के जहाज़ से अर्जेन्टीना और मलेशिया तक जाता है।

उचित मूल्य मिलने लगेगा। इससे स्थानीय व्यवसायी भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने को बाध्य हो जायेंगे।

1. इन फसलों में से दो फसलों के बाज़ार की कड़ियों (किसान से उपभोक्ता) का रेखा-चित्र बनाएँ, जो आपके इलाके में उगाया जाता है।
   (i) गेहूँ (ii) मक्का (iii) दलहन (iv) सरसों
2. आपके आसपास कोई मिल है क्या? वहाँ फसल कैसे पहुँचती है? पता लगाएँ।
3. सरकार द्वारा चलायी गयी नियंत्रित मंडी क्या है? शिक्षक के साथ चर्चा करें।
4. बिहार में मक्का उद्योग लगाने की काफी संभावनाएँ हैं। इन इकाइयों के द्वारा मक्के के विभिन्न उत्पाद जैसे-स्टार्च, बेबीकार्न, पॉपकार्न, कार्न-फ्लेक्स, मक्के का आटा, मुर्गियों का चारा, मक्के का तेल आदि बनाया जा सकता है। इनके क्या फायदे और नुकसान हैं, चर्चा करें।

बागान से मंडी

अब दिन के दो बज चुके थे। हमें भूख लग गई थी और हम काफी थक भी गए थे। शिक्षक ने कहा, ''अब हम लोग को चलना चाहिए। अगले सप्ताह फलों की मंडी पटना के 'बाज़ार समिति' चलेंगे।''

अगले सप्ताह हम सुबह-सुबह फल मंडी पहुँचे। यहाँ चारों ओर फलों की ही दुकानें थीं। कहीं आम ही आम नज़र आ रहे थे तो कहीं केले की बड़ी-बड़ी आढ़त थी। कहीं सेव ही सेव थे तो कहीं नारंगी की ढेर और कहीं अंगूर की बहुत सारी पेटियाँ रखी हुई थीं। कहीं आम की सुगंध तो कहीं सड़े नारंगी की बदबू आ रही थी। हमारे शिक्षक के अनुरोध पर महताब साहब फल मंडी के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हो गए।

सबसे पहले महताब साहब हमें फल मंडी के उस भाग की ओर ले गए जहाँ आम व लीची के बड़े-बड़े टोकरे और पेटियाँ रखी हुई थीं। यहाँ कई तरह के आम नज़र आ रहे थे। कुछ आम कच्चे तथा कुछ आम पके थे। कई प्रकार की लीचियाँ थीं, कुछ बड़े, कुछ आकार में छोटे और सूखे। ये बागान से फलमंडी तक पहुँचने में देर होने के कारण सूख गए थे।

फलों के बागान से फल मंडी तक पहुँचने एवं फल मंडी से उपभोक्ता तक पहुँचने में कई चरण होते हैं और इसमें कई लोग शामिल होते हैं। महताब साहब ने सबसे पहले हमें आमों के बारे में बताया। बिहार के विभिन्न हिस्सों में कई तरह के आम पैदा होते हैं। पटना शहर के दीघा का दूधिया मालदह एवं भागलपुर का जर्दालु आम अपने स्वाद और सुगंध के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हें बिहार से बाहर भी भेजा जाता है।

इस मंडी में आम बिहार के कई हिस्सों से आता है। फल मंडी से छोटे दुकानदार, ठेलेवाले और टोकरियों में फल बेचनेवाली महिलाएँ फल ख़रीदती हैं। इस प्रकार पटना के बाज़ारों और मोहल्लों में फल पहुँचता है।

महताब साहब ने बताया कि बागान से मंडी तक आम कई कड़ियों से हो कर आता है।

पहला– व्यापारी किसानों से उनके आम के बागान को मंजर आने के बाद ख़रीद लेते हैं। वे पेड़ की धुलाई एवं कीटनाशक का छिड़काव अपने स्तर से करते हैं। वे किसान से यह

करार करते हैं कि आम उत्पादन का कुछ हिस्सा वह किसान को देंगे। फल आने के बाद वह आम तोड़कर उसे ट्रकों से फल मंडी में पहुँचाते हैं।

दूसरा– व्यापारी किसानों से उनके आम के बगीचे को तीन या पाँच साल की अवधि के लिए ख़रीद लेते हैं एवं किसान को पैसे के अलावा प्रत्येक वर्ष फल आने पर उत्पादन का कुछ हिस्सा देते हैं।

तीसरा– कुछ बड़े किसान खुद अपने आम को बागान से तोड़कर मंडी तक पहुँचाते हैं। इसमें इन्हें ज़्यादा कमाई होती है।

इसके बाद महताब साहब ने आम मंडी से सटी लीची मंडी में ले जाकर हम लोगों को लीची के बारे में बताया। लीची भी इन्हीं बाज़ार कड़ियों से होकर जगह-जगह और देश के कोने-कोने तक पहुँचती है। भारत का कुल लीची उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत बिहार में होता है। यहाँ की शाही लीची काफ़ी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है। इसलिए मुजफ्फरपुर से ट्रेन एवं ट्रक से लीची कानपुर, दिल्ली, मुम्बई, एवं देश के कई बड़े शहरों में व्यापारियों के माध्यम से भेजी जाती है। मुजफ्फरपुर में कई लीची प्रसंस्करण उद्योग हैं, जिसमें लीची से जूस, जैम, जेली, मधु आदि बनाए जाते हैं।

फलों एवं सब्ज़ियों को ज़्यादा समय तक बचाये रखना संभव नहीं होता क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको अधिक समय तक बचाये रखने के लिए शीत-गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। शीत-गृहों में अधिक समय तक इनका सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। विगत् वर्षों में

सरकार ने इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाये हैं।

बागवानी फसलें, जैसे कि फलों का विकास तभी संभव है जब इनकी प्रसंस्करण इकाइयाँ लगायी जाएँ। इनके कई उत्पाद इन इकाइयों द्वारा तैयार की जाय। फल प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने में बिहार में काफी संभावना है। इस दिशा में सरकार के द्वारा काफी प्रयास हुए हैं।

इसके बाद महताब साहब हमें फल मंडी के उस भाग में ले गये जहाँ केले के बड़े-बड़े आढ़त थे। यहाँ केले के छोटे-बड़े घौद नज़र आ रहे थे। फल मंडी में केला मुख्यतः वैशाली एवं आस-पास के क्षेत्रों तथा नवगछिया एवं भागलपुर क्षेत्र से आता हैं। पूरे राज्य का लगभग 50 प्रतिशत केला इन्हीं क्षेत्रों में पैदा होता है। केला उत्पादक किसान प्रायः केले को स्थानीय व्यापारियों के हाथों खेतों में ही बेच देते हैं। स्थानीय व्यापारियों से केले के थोक व्यापारी खरीद कर इन्हें ट्रकों से फल मंडी में भेज देते हैं।

अब धूप तेज़ होने लगी थी । कुछ बच्चे वहाँ ठेले पर बिक रहे गन्ने के रस को पीने की इच्छा व्यक्त करने लगे।

रस पीते हुए महताब साहब ने कहा कि इस मंडी में ईख भी आते हैं लेकिन गन्ना सिर्फ इन्हीं रस बेचने वालों द्वारा ख़रीदा जाता है। गन्ने द्वारा मुख्यतः चीनी और गुड़ बनाया जाता है। कई गन्ना उत्पादक किसान जिनके क्षेत्र में चीनी मिलें चल रही हैं, वहाँ सीधे मिल को गन्ना बेच देते हैं। इसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन कई छोटे किसान तथा वैसे किसान जिनके आस-पास चीनी मिल नहीं है, गन्ना की पेराई कर गुड़ बना लेते हैं। गुड़ की भी अच्छी कीमत किसानों को मिल जाती है। हालाँकि

गुड़ बनाने में अधिक श्रम तथा समय लगता है। गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। बिहार के इन जिलों में सबसे अधिक गन्ने की खेती की जाती है, इसमें सीतामढ़ी, समस्तीपुर, भागलपुर, दरभंगा गोपालगंज, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सहरसा एवं पूर्णिया शामिल है।

जूट

जूट बिहार की एक प्रमुख फसल है। पूर्णिया, किशनगंज तथा कटिहार ज़िले में इसका अधिक उत्पादन होता है। पूर्णिया के गुलाबबाग में जूट की बहुत बड़ी मंडी है। जूट का उपयोग मुख्यतः पैकेजिंग, फर्निशिंग तथा वस्त्र उत्पादन आदि में होता है। पर्यावरण संरक्षण कारकों से जूट और उससे निर्मित वस्तुओं की माँग एवं बाज़ार निरंतर बढ़ रहा है। बिहार में जूट आधारित उद्योग लगाने की काफी संभावनाएँ हैं। इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा।

1. शीतगृहों के निर्माण से किसे फायदा हो सकता है? चर्चा करें।
2. अपने घर और आस-पास सर्वे करें कि पिछले 5 वर्षों में लोगों द्वारा फल की खपत में क्या-क्या परिवर्तन आए और क्यों?
3. बिहार में फल प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की क्या–क्या संभावनाएँ हैं? चर्चा करें।
4. 'स्वतंत्रता के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। 1942-43 में राज्य में कुल 32 चीनी मिलें थीं जबकि देश भर में सिर्फ 140 चीनी मिलें थीं। वहीं 2022 तक राज्य में चीनी मिलों की संख्या घट कर सिर्फ 11 रह गयी जबकि भारत वर्ष में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 553 हो गयी।'
   पता करें यह बदलाव कैसे हुआ?
5. बिहार में चम्पारण, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहबाद, पूर्णिया, पटना, एवं सहरसा प्रमुख गन्ना उत्पादक ज़िले हैं, इन्हें मानचित्र में दिखाएँ।

?

बाज़ार की कड़ियों को समझते हुए हमने देखा कि किसान की फसल मंडी या मिल तक कैसे पहुँचती है। कुछ किसानों का फसल का उचित भाव मिल पाता है परंतु बहुत से छोटे किसान इससे वंचित रहते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन के कई सुझाव भी सामने आए।

हमने यह भी समझा कि थोक बाज़ार या मंडी के कारण फसल एक जगह पहुँचती है और फिर दूर-दूर के उपभोक्ताओं तक अन्य व्यापारियों द्वारा पहुँचाया जाता है। इन कड़ियों को समझते हुए कई संभावनाओं के फायदे नुकसान पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शीतगृहों का होना, उद्योग लगना, फसलों में बदलाव लाना आदि। असमानता को कम करने के लिए यह ज़रूरी है कि मंडी व्यवस्था बेहतर बने और इसका लाभ छोटे और मध्यम किसानों तक पहुँचे ।

अभ्यास

1. आपके अनुसार अरहर किसान से किस प्रकार आपके घरों में दाल के रूप में पहुँचता है? दिये गये विकल्पों में से खाली बॉक्स भरें।

विकल्प –

(i) दाल मिल
(ii) खुदरा व्यवसायी
(iii) स्थानीय छोटे व्यवसायी
(iv) बड़ी मंडी के थोक व्यवसायी
(v) स्थानीय मंडी के थोक व्यवसायी

2. स्तंभ क' को स्तंभ ख से मिलान करें।

	स्तंभ क		स्तंभ ख
(i)	शाही लीची	(क)	भागलपुर
(ii)	दुधिया मालदह	(ख)	मुजफ्फरपुर
(iii)	मखाना	(ग)	दीघा (पटना)
(iv)	जर्दालु आम	(घ)	दरभंगा

3. कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? इससे किसानों को क्या फायदा होता है?

4. निम्नलिखित फसलों से बनाये जाने वाले विभिन्न उत्पादों को लिखें। इन उत्पादों को बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

क्रम सं.	फसल	उत्पाद
1	गेहूँ	
2	मक्का	
3	लीची	
4	गन्ना	
5	जूट	

5. निम्नलिखित फसलों के सामने के खाली बॉक्स को भरें।
   अपने आस-पास के अनुभव के आधार पर

क्रम	फसल	किस स्थानीय मंडी में बेचा?	किसानों को क्या भाव प्राप्त हुआ?	वहाँ से कहाँ पहुँचाया जाता है?
1	चावल			
2	गेहूँ			
3	मक्का			
4	आम			
5	केला			

6. दिये गए चित्र में गुप्त रूप से आम का भाव तय किया जा रहा है। खुली नीलामी प्रक्रिया इससे कैसे भिन्न है, चर्चा करें।

अध्याय 11

समानता के लिए संघर्ष

अब तक हम लोगों ने पुस्तक के सभी अध्यायों को पढ़ा। पुस्तक के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि पूनम और ज्योति, मतदाता पहचान-पत्र बनवाने की लाइन में खड़े थे। वहाँ सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के– जाति, धर्म, रंग-रूप, अमीर-गरीब आदि एक कतार में खड़े थे। उसी प्रकार बाल संसद की चुनावी प्रक्रिया यह दर्शाती है कि सभी बच्चों को मत देने का समान अधिकार है। वहीं दूसरी ओर इसी पाठ में रमा और शालिनी के बीच हम असमानता को देखते हैं।

इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में हमने विधायक के चुनाव में वयस्क व्यक्तियों को मतदान करते हुए देखा। यह मत हम समान रूप से देते हैं। किसी का मत (वोट) दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं होता है। इसी पाठ में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे–मध्याह्न भोजन, पोशाक योजना तथा साइकिल योजना में समानता के भाव को देखा। वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा आम आदमी को अभी भी नहीं मिल पा रही है, जो असमानता को बढ़ाता है।

जावेद एवं शबाना को विकसित होने के समान अवसर प्रदान किये गये। वहीं दूसरी ओर श्यामा चाहती है कि वो पढ़े-लिखे, खेल-कूद में भाग ले, परंतु उसके परिवार ने इसकी इजाज़त नहीं दी, गुड़िया, पूजा एवं अन्य महिलाओं के संगठित प्रयास से समाज में बदलाव के संकेत दिखते हैं।

हमने मीडिया और लोकतंत्र में पढ़ा कि मीडिया सरकार द्वारा घोषित नीतियों, कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाती है और उनका विचार बनाने में मदद करती है। दूसरी ओर आम आदमी के दैनिक जीवन की महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। इसके अतिरिक्त बाजार के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हमने यह भी देखा कि रामजी, गाँव का छोटा दुकानदार है जो बहुत कम लाभ कमा पाता है और बड़े व्यवसायी इससे कहीं अधिक। यही विसंगति विज्ञापन के प्रसारणों में भी पायी जाती है तो जहां एक ओर बड़ी-बड़ी हस्तियों से जुड़े विज्ञापन दिए जाते हैं तो दूसरी ओर आम आदमी से संबंधित समस्याओं एवं छोटे–छोटे व्यापारियों के हितों को उपेक्षित किया जाता है।

इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से एक बात

सामने आयी कि हम समानता यानी समान अवसर पाने की इच्छा रखते हैं। लोग सोचते हैं कि समान व्यवहार होना चाहिए। किन्तु, किसी न किसी रूप में असमानता नज़र आती है।

कई बार हमें अपनी उम्मीदों से निराश भी होना पड़ता है। परंतु हमने यह भी जाना कि लोग सवाल पूछते हैं, आवाज़ उठाते हैं, न्याय के लिए संघर्ष का रास्ता ढूँढ़ते हैं, और समानता की इच्छा को बनाये रखते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण गंगा बचाओ आन्दोलन है जहाँ मछुआरों ने अपने त्रस्त जीवन को संघर्ष के बदौलत खुशियों में बदल दिया।

जीवन-दायिनी गंगा के लिए संघर्ष

कठवा की नैय्या बनी है हो मलहवा,
गंगा के पार दे उतार।
झपक-झपक चले तोहर नैय्या हो मलहवा,
आयी पूरबईया बयार।
गंगा के पार भैया, लागे न तोर नैय्या।
भुखवा से चले न पतवार।
तीन रुपया भैया गंगा की कमइयाँ
दो रुपया लिये ज़मींदार।
बिलख–बिलख के बचवा रोवे,
पत्नी रोवे जार–बेजार।
दूषित जल भैया, भागे मछरिया,
गंगा के नाम पर चले ठीकेदरिया।
मछुआ सब हौले अब बेकार।
भाई–बहन मिली कर अब लड़इयाँ,
गंगा पर हक है हमार।
कत्ते ज़मींदारी कानून से टूटल।
हमर नसीबा काहे हौ फूटल।
सोचे न कोई सरकार।

('गंगा को अविरल बहने दो' से साभार)

– कृष्ण चंद्र चौधरी

गंगा अतीत काल से बहती हुई अपने प्रवाह क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। तभी तो गंगा के मैदानी इलाकों में सभ्यता काफी फली-फूली। बिहार के लिए गंगा जीवनदायिनी रही है। गंगा आधारित सिंचाई, यातायात तथा मछली व्यवसाय पर जीवन-यापन करने वालों की एक बड़ी जमात बिहार में है। दबंगों एवं ज़मींदारों की नज़रें इस कारण गंगा पर गयीं। मछली मारने वाले मछुआरों, नाव चलाने वाले मल्लाहों आदि से मछली और नौका चालन हेतु रकम वसुलने का प्रचलन शुरू किया गया। पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था आज़ादी के बाद भी कायम रही जो आगे चलकर ठेकेदारी का रूप ले ली।

मछुआरों ने सहकारी समिति को गठित किया। बन्दोबस्ती ली। पहले की अपेक्षा और अधिक मछुआरों और मल्लाहों का शोषण शुरू हो गया। ठेकेदारों और सहकारी समिति से बड़े मछुआरों ने पट्टे पर घाट एवं नदी के निर्धारित क्षेत्र लिया। वे आगे छोटे मछुआरे और फिर उससे छोटे मछुआरों को देने लगे। इस प्रकार शोषण कई जगहों पर होने लगा। मल्लाहों और मछुआरों में बेचैनी बढ़ने लगी। उनकी रोजी– रोटी दिन प्रतिदिन छिनती जा रही थी।

इसी बीच सरकार ने गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण कर दिया। गंगा में समुद्र से मछलियों एवं जीरे का बहाव (आना) बन्द हो गया। परिणामतः गंगा में मछलियों की अप्रत्याशित कमी हो गयी। मछुआरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गयी।

इसी दौर में गंगा के दोनों किनारों पर फैक्टरियाँ लगीं। इनसे निकलने वाले कचरे से गंगा और भी प्रदूषित हो गयी। इस प्रदूषण से मछलियाँ न केवल मरने लगीं बल्कि उनकी प्रजनन क्षमता कम हो गयी। मरता क्या नहीं करता। जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 में कहलगाँव के कागजी टोला से किया। संघर्ष हेतु लिए गए संकल्पों में गंगा से जलकर की समाप्ति,जाति प्रथा तोड़ने, शराबखोरी बन्द करने, महिलाओं को बराबर की हकदारी आदि प्रमुख थे। संघर्ष के क्रम में मछुआरों ने कई संगठनों का गठन किया। धरना-प्रदर्शन, लम्बी नौका यात्रा, नशाबन्दी शिविर तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के शान्तिपूर्ण प्रयास किए गए। ऐसे प्रयास के सार्थक प्रभाव पड़ने लगे। संघर्ष का विस्तार बिहार में गंगा के दोनों किनारों पर हो गया। इस आन्दोलन को दबाने का

प्रयास सहकारी समितियों तथा ठीकेदारों द्वारा किया जाने लगा। किन्तु मछुआरों और मल्लाहों के शान्तिपूर्ण संघर्ष को दमनकारी प्रयासों से कुचला नहीं जा सका। यह संघर्ष इतना सशक्त एवं प्रभावशाली रहा कि आठ-नौ वर्ष पूरा होते-होते, वर्ष 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगलकाल से चली

आ रही ज़मींनदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। पुनः ठीक एक वर्ष के भीतर ही 1991 में सरकार ने राज्य को जलकर से मुक्त करने की घोषणा कर दी। इससे सम्बन्धित कानून बना दिये गये। आज गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। संघर्ष के परिणामस्वरूप उनका शोषण बन्द हो गया तथा आजीविका का अधिकार प्राप्त हुआ।

1. मछुआरे किन बातों से परेशान थे? उन्होंने इसके लिए क्या किया?
2. क्या कुछ समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं? इनके लिए क्या करना चाहिए?

पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने कई बार यह पढ़ा कि असमान व्यवहार से लोगों की गरिमा को किस तरह ठेस पहुँचती है। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वह समान व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। लोगों के मन में विचार उठता है कि समान व्यवहार क्यों नही होता। समाज ऐसा क्यों है? बदलाव कैसे हो सकते हैं? कहीं-कहीं आक्रोश जन्म लेता है। प्रभावित लोग संगठित होने लगते हैं तथा किये जा रहे उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर अपनी आवाज़ उठाकर संघर्ष आरंभ करते हैं।

इतिहास की नज़र से

ज्योतिबा फूले

भारतीय समाज जातियों एवं धर्मों में बंटा है। यहाँ ऊँच-नीच, जाति-प्रथा, छुआ-छूत, जैसे कई कुरीतियाँ पायी जाती रही हैं। महिला अशिक्षा और असमानता तथा समाज में धन का असमान वितरण जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान है। उपरोक्त असमानता के विरुद्ध समय-समय पर आन्दोलन भी हुए हैं। इस क्रम में 'ज्योतिबा फूले' ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान हेतु प्रभावशाली आन्दोलन किया। महात्मा गांधी, डॉ० राम मनोहर लोहिया तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी जाति-प्रथा एवं छुआ-छूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्षरत रहे।

'सावित्री बाई फूले' ने महिला शिक्षा एवं समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। संविधान द्वारा समानता के अधिकार दिये जाने में डॉ भीमराव अम्बेदकर की प्रमुख भूमिका रही है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण

विनोबा भावे द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु किया गया भूदान आंदोलन को भी कई भूपतियों द्वारा समर्थन दिया गया। इतने संघर्षों के बावजूद अभी भी ढेरों ऐसी समस्याएँ हैं जिनके खिलाफ लड़े जाने की ज़रूरत है। जैसा किसी कवि ने कहा है– ''होसलें बुलंद हो तो फासले करीब हैं, हो जिगर में दम अगर तो मंजिलें क्या दूर हैं'' ऐसे और भी संघर्ष एवं आंदोलन का वर्णन हम अगले वर्ग में जानेंगे।

अभ्यास

1. अपने विद्यालय या आस-पास में समानता तथा असमानता दर्शाते हुए दो-तीन व्यवहारों को लिखें।
2. क्या साइकिल वितरण, पोशाक वितरण, मध्याह्न भोजन वितरण, छात्रवृति वितरण के समय असमान व्यवहार का भाव झलकता है ?
3. अपने इलाके के संदर्भ में कुछ संघर्ष के मुद्दों को बतायें।
4. अपने क्षेत्र के कुछ प्रदर्शनों/आन्दोलनों में से किसी एक की चर्चा करें।

अध्याय 12

सड़क सुरक्षा उपाय

क. सड़क सुरक्षा उपाय से संबंधित शब्दावलियाँ

सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए यातायात संबंधी कुछ शब्दों एवं उसके विषय की जानकारी आवश्यक है। ये निम्नवत् हैं:–

1. **जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवरब्रिज एवं सब–वे (भू–तल मार्ग)**–पद यात्रियों के द्वारा सुरक्षित सड़क पार करने हेतु जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवरब्रिज एवं भूतलमार्ग (सब–वे) का प्रयोग किया जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग सफेद एवं काले रंग की एकांतर क्रम में समानांतर खींची गई मोटी रेखाएं हैं, जो जेब्रा जानवर के शरीर पर बनी धारियों के सदृश होता है। फुट ओवरब्रीज सड़क के ऊपर सड़क पार करने के लिए पुलनुमा संरचना होती है। भू–तल मार्ग सड़क के नीचे सीढ़ीदार सुरंगनुमा पथ होता है। सड़क पार करते समय हमेशा इनका उपयोग करना चाहिए।

2. **हेलमेट**–हेलमेट का आशय एक कठोर गद्दीदार सामग्री से बनी हुई टोपनुमा आकृति से है, जिसे दो पहिया वाहन परिचालन के वक्त चालक एवं सवार दोनों को पहनना अनिवार्य है। यह सिर में लगने वाली चोट से बचाता है। सड़क पर होनेवाली 90 प्रतिशत मौतों का कारण सिर पर लगने वाली चोटें होती है। अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट से सिर पर चोट लगने की संभावना 80 प्रतिशत कम हो जाती है। दो पहिया वाहन चलाने वाले एवं पीछे बैठे सवार को हमेशा हेलमेट पहनकर सफर करना चाहिए।

3. **सीट बेल्ट**– मोटरयान या वायुयान की सीट से जुड़ा एक पट्टा जो व्यक्ति को सीट से अलग नहीं होने देता है, सीट बेल्ट कहलाता है। सीट बेल्ट के प्रयोग से दुर्घटना के दौरान उस व्यक्ति के मौत का जोखिम 50 प्रतिशत कम हो जाता है। सड़क यात्रा के दौरान सीट बेल्ट अवश्य लगाना चाहिए।

4. **तेज गति (ओवर स्पीड)** – हमारे देश में 76 प्रतिशत दुर्घटनाएँ ओवर स्पीडिंग और साइड पर गाड़ी चलाने के कारण होती है। अधिक गति से गाड़ी चलाना दुर्घटना का मुख्य कारण है। तेज गति में वाहन परिचालन से आशय उस गति सीमा के उल्लंघन से है, जो किसी पथ विशेष पर विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए निर्धारित की गई हो। इसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। दुर्घटना में गति के प्रभाव को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि 10 0 कि.मी. प्रति घंटा की गति वाले वाहन से टकराने का प्रभाव 12 मंजिला भवन से गिरने के समान होता है। सड़क पर हमेशा निर्धारित गति–सीमा में गाड़ी चलानी चाहिए।

5. **लेन ड्राइविंग**– लेन का आशय सड़क पर वाहन के अवरोध मुक्त यातायात हेतु किये गए विभाजक रेखा से है। यह सामान्यतः सफेद पट्टी से विभाजित होती है। मूलतः लेन की व्यवस्था चौड़ी सड़कों पर की जाती है। लेन में वाहन चलाना सुगम और सुरक्षित है। लेन बदलते समय संकेतक का प्रयोग करना चाहिए।

6. **नशे में गाड़ी चलाना**– नशे में गाड़ी चलाने से आशय है मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाना। शराब एवं मादक पदार्थों के सेवन से ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था में वाहन चलाना खतरनाक है। जागरूक और होशोहवास में वाहन चलाना चाहिए जिससे दुर्घटना की संभावना 80 प्रतिशत कम हो जाती है। नशे में गाड़ी चलाना कानूनन वर्जित है और यह दण्डनीय अपराध भी है।

7. **स्टॉप लाईन–** सड़क पर चिह्न ऐसे स्थान जहाँ रुकना अनिवार्य होता है उसे स्टॉप लाईन कहते है। इस स्थान पर **'रुकें'** का आदेशात्मक सड़क संकेत प्रदर्शित होता है। रुकें का यह संकेत अष्टभुजाकार होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसके आठों किनारे सफेद होते है और बीच का भाग लाल रंग का होता है।

8. **सड़क चिह्न–** सड़क चिह्न तीन प्रकार के होते हैं:–

I. आदेशात्मक सड़क चिह्न–

ये चिह्न दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आम्तौर पर ये चिह्न गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ चिह्न नीले रंग में भी होते हैं। **'रुकिए'** और **'रास्ता दीजिए'** के चिह्न आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते है।

II. सचेतक सड़क चिह्न–

ये चिंह्न ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों/परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। ये चिह्न त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते है।

III सूचनात्मक सड़क चिह्न–

इन चिह्नों का उद्‌देश्य सड़क के उपयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के पास उपलब्ध सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सामान्यतौर पर ये चिह्न नीले रंग में होते है।

ख. सुरक्षित साइकिल चलाने के बारे में चालकों को सुझाव

साइकिल सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला यातायात का साधन है, इसलिए साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को यातायात के नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सड़क पर चोटग्रस्त होने वाले साइकिल सवारों में

लगभग 40 प्रतिशत वे बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम होती है। इसलिए सड़क पर साइकिल चलाना कभी नहीं सीखना चाहिए। किसी भी व्यस्क व्यक्ति की मौजूदगी में पार्क या खेल के मैदान जैसे सुरक्षित स्थानों पर ही साइकिल चलाना सीखें। सड़क पर साइकिल चलाने के लिए सुरक्षा से संबंधित प्राथमिक बातों की जानकारी होनी चाहिए।

हमेशा:

– साइकिल को सुचारु स्थिति में रखें। उसे चलाने से पहले ब्रेक्स, टायर, हवा के दबाव, लाइट और चेन की जाँच करें।
– यातायात नियमों का पालन करें। मुड़ते समय यातायात पर नजर डालें और हाथ से संकेत दें।
– साइकिल पर क्षमता से अधिक भार न लादें। साइकिल एक या अधिकतम दो व्यक्तियों के बैठने के लिए होती है।
– सड़की की बायीं ओर चलें।
– ओवटेकिंग से बचें। यदि सड़क संकरी है तो 'एक कतार' में रहें।
– सड़क पर कलाबाजी न करें। हैंडल के दोनों डंडों पर अपना हाथ रखें।
– यदि उपलब्ध हो तो सिर्फ साइकिल मार्गों का उपयोग करें।
– सड़क पर हमेशा चौकस रहें।
– रात में चटकीले रंग के कपड़े पहनें और चमकती लाइट रखें।
– साइकिल पर रिफ्लेक्टिव (परावर्तक) टेप लगाएं।
– अधिक स्पीड से साइकिल न चलाएँ।

(क) यातायात संकेतक

क्रमांक	चिह्न	हिन्दी	अंग्रेजी
1		रास्ता दीजिए	Give way
2		एक दिशा मार्ग	One way
3		बैलगाड़ियों का आना मना है	Bullock Cart Prohibited
4		बायें मुड़ना मना है	Left Turn Prohibited
5		दायें मुड़ना मना है।	Right Turn Prohibited
6		बायें रहकर चलना अनिवार्य	Compulsory Keep Left
7		अनिवार्य साइकिल मार्ग	Compulsory Cycle Track
8		बायाँ मोड़	Left Hand Curve
9		बायाँ घुमावदार मोड़	Left Hair Pin Band

10		संकरा पुल	Narrow Bridge
11		आदमी काम कर रहे हैं	Men at work
12		चौराहा	Cross Road
13		गोल चक्कर	Round About
14		आगे मुख्य सड़क है	Major Road Ahead
15		खतरनाक गहराई	Dangerous Dip
16		आगे अवरोध है	Barrier Ahead
17		रक्षित रेलवे क्रॉसिंग	Guarded Level Rail Crossing
18		मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग unguarded rail crossing	unguarded Rail Crossing
19		पार्किंग	Parking
20		अल्पाहार	Light Refreshment

(ख) यातायात प्रश्नावली

1		**निम्नांकित चिह्न दर्शाता है:–**
		(i) प्रवेश निषेध
		(ii) एक तरफा रास्ता।
		(iii) गति सीमा समाप्त।
2		**निम्नांकित चिह्न दर्शाता है:–**
		(i) दाहिना मुड़ना मना है।
		(ii) बायां तीव्र मोड़ है।
		(iii) वापस मुड़ना या आगे U टर्न है।
3		**निम्नांकित चिह्न दर्शाता है:–**
		(i) आगे दोनों तरफ सड़क।
		(ii) आगे संकरा पुल।
		(iii) आगे संकरी सड़क।
4		**निम्नांकित वाहनों को मुक्त प्रवाह (फ्री) पैसेज देना चाहिए:–**
		(i) पुलिस वाहन।
		(ii) एम्बुलेंस एवं अग्निशमन वाहन।
		(iii) एक्सप्रेस एवं सुपर एक्सप्रेस बस।
5		**जब रात्रि के समय वाहन को सड़क के किनारे पार्क किया जाता है, तब:–**
		(i) वाहन को लॉक कर देना चाहिए।
		(ii) वाहन चालक को चालक के सीट पर रहना चाहिए।
		(iii) पार्किंग लाइट को जला देना चाहिए।
6		**निम्नांकित चिह्न दर्शाता है:–**
		(i) रेलवे स्टेशन निकट।
		(ii) मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग (UNGUARDED RAILWAY LEVEL CROSSING)
		(iii) रक्षित रेलवे क्रॉसिंग (GUARDED RAILWAY LEVEL CROSSING)
7		**निम्नांकित चिह्न दर्शाता है:–**
		(i) चौराहा
		(ii) प्रवेश निषेध
		(iii) अस्पताल

8		**मोड़ पर ओभरटेकिंग :–**
		(i) स्वीकार्य
		(ii) अस्वीकार्य
		(iii) स्वीकार्य सावधानी के साथ
9		**पार्किंग मान्य है:–**
		(i) मोड़ पर
		(ii) फुटपाथ पर
		(iii) जहाँ पार्किंग प्रतिबंधित नहीं है।
10		**मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए:–**
		(i) सरकारी कार्यालयों में।
		(ii) पुलिस थानों में।
		(iii) वाहन चलाते समय।
11		**निम्नांकित चिह्न दर्शाता है:–**
		(i) बायाँ मोड़।
		(ii) बायाँ चढ़ाव।
		(iii) बायाँ रहें।
12		**निम्नांकित चिह्न दर्शाता है:–**
		(i) U टर्न।
		(ii) बायाँ मोड़।
		(iii) गोल चक्कर।
13		**निम्नांकित चिह्न दर्शाता है:–**
		(i) रक्षित रेलवे क्रॉसिंग (GUARDED RAILWAY LEVEL CROSSING)
		(ii) मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग (UNGUARDED RAILWAY LEVEL CROSSING)
		(iii) आगे अवरोध है।
14		**जब आप वाहन चलाते हुए एक सड़क संगम पर पहुँचते हैं जहाँ कोई सिग्नल नहीं है और लोग आपके कार के सामने से पार कर रहे हैं, तब आपको चाहिए कि :–**
		(i) बिना गति कम किए हुए सड़क में जाना जारी रखें।
		(ii) गति धीमी करें और सावधान हो जाएँ।
		(iii) गाड़ी रोक दें और लोगों को सड़क पर कर लेने दें।

15		**जब वाहन चला रहे हों तब दाहिनें मुड़ने के लिए समुचित हस्त–संकेत (Hand Signal) है:–**
		(i) दाहिने हाथ की हथेली क्षैतिज अवस्था से बाहर की तरफ फैली हो और वाहन के दाहिने तरफ हाथ की हथेली सामने की ओर मुड़ी हो।
		(ii) दाहिनी भुजा फैलाएं और वामावर्त घुमाएँ।
		(iii) दाहिनी भुजा हथेली को नीचे के तरफ रखते हुए फैलाए और हथेली को कई बार ऊपर नीचे हिलाए।
16		**जब आप वाहन चला रहे हैं और एक लेन (Lane) से दूसरे लेन (Lane) में जाना चाहते हैं तब आपको चाहिए कि:–**
		(i) समुचित मुड़ने का संकेत दें।
		(ii) समुचित मुड़ने का संकेत देते हुए तभी लेन परिवर्तित करें जब ऐसा करना सुरक्षित हो।
		(iii) लेन परिवर्तन कभी नहीं करें क्योंकि यह नियम के विपरीत है।
17		**यदि कोई व्यक्ति खतरनाक ढ़ंग से तेज रफ्तार से (over speed) गाड़ी चलाता है तो:–**
		(i) यह दंडनीय अपराध है और पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
		(ii) यह दंडनीय अपराध है और लेकिन पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
		(iii) यह केवल एक साधारण अपराध है जिसका केवल आर्थिक दंड होता है।
18		**शराब पी कर गाड़ी चलाना:–**
		(i) खतरनाक एवं दंडनीय अपराध है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।
		(ii) खतरनाक है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
		(iii) खतरनाक है लेकिन दंडनीय नहीं है।
19		**दो पहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है:–**
		(i) केवल चालक के लिए।
		(ii) चालक एवं पीछे बैठने वाले व्यक्ति (Pillion rider)दोनों के लिए।
		(iii) किसी के लिए नहीं।
20		**प्रत्येक वाहन चालक को–**
		(i) यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
		(ii) यातायात नियमों का पालन करना ऐच्छिक है।

एक कहानी

यातायात नियमों के व्यवहार, सुरक्षित जीवन का आधार

अजय, रमेश, राहुल तथा राधा अच्छे मित्र हैं ओर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं किन्तु अलग–अलग स्थानों पर रहते हैं। उनका स्कूल प्रातः 7.30 बजे खुलता है और वे 2.00 बजे तक स्कूल में ही रहते हैं। रमेश स्कूल बस से स्कूल जाता है और राहुल अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। अजय पैदल ही स्कूल जाता है। जबकि राधा अपनी माँ के साथ कार से स्कूल जाती है।

अजय स्कूल के समीप ही रहता है, इसलिए वह पैदल ही जाता है। स्कूल जाते समय उसे दो प्रमुख सड़को को पार करना होता है। वह पहली सड़क को सड़क के नीचे बनी भूतल मार्ग को पार करता है, जिसे सब–वे भी कहते हैं और दूसरी सड़क को इंटर–सेक्शन पर जेब्रा क्रॉसिंग से पार करता है। जेब्रा क्रॉसिंग जेब्रा के शरीर पर अंकित धारी की तरह का सड़क पर बना पार पथ चिह्न होता है। वह अपने दो अन्य मित्रों के साथ आता है।

रमेश सुबह जल्दी उठ जाता है और प्रातः 6.40 बजे स्कूल आने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूल बस उसके स्टॉप पर प्रातः 6.50 बजे आती है इसलिए स्कूल बस पकड़ने के लिए वह स्टॉप पर प्रातः 6.45 बजे पहुंच जाता है। उस स्टॉप से 10 बच्चे स्कूल बस में चढ़ते हैं। वहाँ सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े होते हैं, जिसमें सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे और सबसे बड़ा सबसे पीछे खड़ा होता है। जब स्कूल बस वहाँ पहुंचती है तो कंडक्टर उतर कर बच्चों को ऊपर चढ़ने में सहयोग करता है जब सभी बच्चे बस में चढ़ जाते है तो वह बस का दरवाजा बंद करता है और सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे ठीक प्रकार से अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और उसके पश्चात ही ड्राइवर को गाड़ी चलाने का निर्देश देता है। जब कभी कोई बच्चा समय पर स्टॉप पर नहीं पहुच पाता है तो बस 5 मिनट के लिए उसका इंतजार करती है। ड्राइवर अंकल एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं और धीमी गति से बस को चलाते हैं। वे हमेशा बस को अपनी ही लेन में चलाते हैं और यातायात के सभी सिग्नलों और नियमों का

पालन करते हैं। इन नियमों के पालन से सड़क यातायात सुरक्षित रहता है। स्कूल पहुंचने तक बस को तीन फ्लाईओवरों से गुजरना पड़ता है। कंडक्टर अंकल बार–बार बच्चों को हिदायत देते रहते हैं कि **बच्चे हाथ या शरीर का कोई अंग खिड़की से बाहर न निकालें।** यह खतरनाक है। इससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है। स्कूल पहुंचने पर बच्चे बिना किसी जल्दीबाजी के एक–एक करके बस से उतरते हैं।

राहुल को साइकिल बहुत अच्छा लगता है और इसलिए वह साइकिल से ही स्कूल आता है। वह अपने साइकिल से बहुत प्यार करता है और अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता है। उसकी साइकिल में डायनेमों से चलनेवाली हेडलाइट भी है। इसके अतिरिक्त उसकी साइकिल में एकबहुत अच्छी धुरी और एक मजबूत कैरियर भी है। उसकी साइकिल की ब्रेक और टायर अच्छी गुणवत्ता के हैं। स्कूल के लिए निकलने से पहले राहुल हमेशा अपनी साइकिल के टायरों की हवा की जांच करता है और बैग को साइकिल के कैरियर पर अच्छी तरह से बांध देता है। राहुल एक शिष्ट बच्चा है और सभी नियमों और सुरक्षा मापदंडों का अनुपालन करता है। जब बत्ती लाल होती है तो वह रुक जाता है और कभी उसे मुड़ना होता है तो वह अपने हाथ से मुड़ने का संकेत देता है। राहुल सुबह अपने घर से जल्दी निकलता है इसलिए वह कभी भी साइकिल को तीव्र गति से नहीं चलाता है। वह साइकिल चलाते समय साइकिल के साथ किसी प्रकार के करतब नहीं करता।

राधा की माँ उसी के स्कूल में अध्यापिका है और इसीलिए वह अपनी माँ के साथ ही कार में स्कूल जाती है। उसकी माँ कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनती है। सामान्यतः आगे की सीट पर दोनों बैठते हैं एवं सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट लगाने पर दुर्घटना के दौरान मौत का जोखिम 50 प्रतिशत कम जाता है। गाड़ी चलाने से पूर्व राधा की माँ अपनी मोबाइल फोन को कार के डैश बोर्ड पर रख देती है एवं गाड़ी चलाते समय उसका उपयोग नहीं करती है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग से हमारी इंद्रियों का 50 प्रतिशत ध्यान बट जाता है, इससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। कार चलाते समय मोड़ पर वह हमेशा इंडिकेटर देती है। वह यातायात सिग्नल के नियमों का भी पालन करती है। जब वह यातायात सिग्नल में लाल बत्ती जली हुई देखती है तो वह अपनी

गाड़ी–खड़ी रखती है। जब बत्ती पीली होती है तब वह अपनी गाड़ी सावधानी पूर्वक धीरे–धीरे आगे बढ़ाती है। यातायात बत्ती के हरी हो जाने पर वह अपनी सामान्य गति में गाड़ी को चलाती है।

एक दिन अजय को सुबह उठने में देरी हो गई चूंकि उसके पास स्कूल पहुंचने के लिए कम समय बचा था, वह स्कूल जाने के लिए दौड़ने लगता है और सब–वे से सड़क पार न करके वह सड़क पर लगी रेलिंग से छलांग मारकर उसे पार करने का प्रयास करता है। जैसे ही वह उतरने की कोशिश करता है तो एक स्कूटर उसको पीछे से टक्कर मार देता है। वह अपने आपको संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। अजय को कई चोटें आती हैं। उसे ठीक होने और पुनः स्कूल जाने में एक महीने का समय लग जाता है। दो मिनट बचाने के चक्कर में उसका एक महीने का नुकसान हो गया। उस दिन के बाद अजय कभी भी सड़क पर नहीं दौड़ा और उसने हमेशा सब–वे के रास्ते ही सड़क को पार किया। वह हमेशा अपने मित्रों को भी यातायात के नियमों और सुरक्षा मापदंडों का अनुसरण करने को कहता है।

प्रश्न समूह 1

1. अजय ने पहली सड़क को कैसे पार किया?
2. अजय ने दूसरी सड़क को कहां से पार किया?
3. अजय को चोट कैसे लगी?
4. अजय को किसने टक्कर मारी?
5. दुर्घटना किसी गलती से हुई शिक्षक के साथ चर्चा करें ।

प्रश्न समूह 2

1. स्कूल बस का ड्राइवर किस लेन में बस को चलाता है?
2. बस के चलने से पहले कंडक्टर किन बातों को सुनिश्चित करता है?

प्रश्न समूह 3

1. राहुल अपना बैग कहाँ रखता है?
2. साइकिल चलाते समय राहुल मुड़ने से पहले क्या करता है?
3. स्कूल निकलने से पहले राहुल किन बातों की जाँच करता है ?

4. सिग्नल की लालबत्ती, पीली बत्ती एवं हरी बत्ती हमें क्या बताती है?
5. राहुल के साइकिल की हेड लैम्प किस प्रकार जलती है?

प्रश्न समूह 4

1. सीट बेल्ट क्या होती है?
2. राधा की माँ कार के डैशबोर्ड पर क्या रखती है?
3. गाड़ी चलाते वक्त राधाकी माँ मोबाइल का उपयोग क्यों नहीं करती हैं?
4. अपनी कार को मोड़ने से पहले वह किसका प्रयोग करती है?
5. यातायात सिग्नल में लाल, पीली एवं हरी बत्ती का क्या अर्थ होता है?

अनमोल जीवन दांव पर मत लगाइए

मानव रहित रेलवे समपार फाटक पार करने से पहले

मानवरहित रेलवे समपार पर
लापरवाही
जानलेवा हो सकती है।

- अपना वाहन समपार से 20 मीटर पहले रोक दें.
- आने वाली रेल की आवाज/हॉर्न ध्यान पूर्वक सुनें
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखें.
- पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के बाद ही वाहन पार करें।

याद रहे आपकी जिन्दगी अमूल्य है

मानव रहित समपार लापरवाही पूर्वक पार करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 एवं रेलवे अधिनियम की धारा 161 के अन्तर्गत कानूनन अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष का कारावास भी हो सकता है।

मानवरहित समपार फाटक पर लापरवाही

कभी नहीं...

जीवन है अनमोल

मानवरहित समपार फाटक को पार करने से पूर्व दोनों तरफ देखकर/सुनकर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है।